



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 243]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 23, 2009/वैशाख 3, 1931

No. 243]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 23, 2009/VAISAKHA 3, 1931

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 अप्रैल, 2009

सा.का.नि. 280(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2007 (2007 का 29) की धारा 26 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कुलाध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से सभी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के लिए निम्नलिखित प्रथम परिनियम विरचित करती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.—(1) इन परिनियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के प्रथम परिनियम है।

(2) ये सभी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को लागू होंगे।

(3) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं.—(1) इन प्रथम परिनियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,—

(क) "अधिनियम" से राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2007 अभिप्रेत है;

(ख) किसी संस्थान के संबंध में "प्राधिकारियों", "अधिकारियों" और "संकाय सदस्यों" से संस्थान के प्राधिकारी, अधिकारी और संकाय सदस्य अभिप्रेत हैं;

(ग) "निर्माण और संकर्म समिति" से प्रथम परिनियम संख्या 12 के अधीन गठित संस्थान की निर्माण और संकर्म समिति अभिप्रेत है;

(घ) किसी संस्थान के संबंध में "केंद्र" से साधारणतः अंतर विषयक प्रकृति के शैक्षणिक क्रियाकलाप (जैसे अध्यापन, अनुसंधान आदि) में लगे हुए संस्थान की कोई शैक्षणिक इकाई अभिप्रेत है;

(ङ) किसी संस्थान के संबंध में "विभाग" से साधारणतः किसी विशिष्ट विद्या या क्षेत्र से संबंधित शैक्षणिक क्रियाकलाप (जैसे अध्यापन, अनुसंधान आदि) में लगे हुए संस्थान की कोई शैक्षणिक इकाई अभिप्रेत है;

(च) "वित्त समिति" से प्रथम परिनियम संख्या 10 के अधीन गठित संस्थान की वित्त समिति अभिप्रेत है;

(छ) “विभाग या केंद्र का प्रमुख” से, जो किसी भी नाम से ज्ञात हो, प्रथम परिनियम संख्या 20 के अधीन, यथास्थिति, विभाग या केंद्र के प्रमुख के रूप में नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है ;

(ज) “कार्यक्रम” से संस्थान का कोई शैक्षणिक कार्यक्रम अभिप्रेत है ;

(झ) “नियम” से अधिनियम के अध्याय 3 के अधीन बनाए गए नियम अभिप्रेत है ;

(ञ) “अनुसूची” से इन परिनियमों से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है ।

(2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं, किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं ।

3. प्राधिकारी-संस्थान के निम्नलिखित प्राधिकारी होंगे, अर्थात् :—

(i) शासक बोर्ड, जो अधिनियम की धारा 11 के अधीन गठित किया जाए ;

(ii) सिनेट, जो अधिनियम की धारा 14 के अधीन गठित की जाए ;

(iii) वित्त समिति, जो प्रथम परिनियम 10 के अधीन गठित की जाए ; और

(iv) निर्माण और संकर्म समिति, जो प्रथम परिनियम संख्या 12 के अधीन गठित की जाए ।

4. शासक बोर्ड और उसके अधिवेशन—(1) बोर्ड के प्रतिनिधियों को नाम निर्दिष्ट या निर्वाचित करने के लिए हकदार निकायों को उस तारीख से, जिसको ऐसे आमंत्रण कुल-सचिव द्वारा जारी किए गए हों, आठ सप्ताह से अनधिक की अवधि के भीतर ऐसा करने के लिए उसके द्वारा आमंत्रित किए जाएंगे ।

(2) बोर्ड की आकस्मिक रिक्तियां उप परिनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रिया को अपनाते हुए भरी जाएंगी ।

(3) बोर्ड साधारणतः एक कलेंडर वर्ष के दौरान चार बार अधिवेशन करेगा ।

(4) बोर्ड के अधिवेशन अध्यक्ष द्वारा या तो स्वप्रेरणा से या निदेशक के अनुरोध पर या बोर्ड के चार से अन्यून सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित अध्यापेक्षा पर बुलाए जाएंगे ।

(5) बोर्ड के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति छह सदस्यों से होगी :

परंतु यदि अधिवेशन गणपूर्ति में अभाव के कारण स्थगित होता है तो वह आगामी सप्ताह में उसी दिन, उसी समय और उसी स्थान पर या ऐसे अन्य दिन, समय या स्थान पर, जैसा अध्यक्ष अवधारित करे, होगा और यदि ऐसे किसी अधिवेशन में गणपूर्ति, अधिवेशन बुलाए जाने के लिए अनुसूचित समय से आधे घंटे के भीतर, नहीं होती है तो उपस्थित सदस्य से गणपूर्ति होगी ।

(6) बोर्ड के अधिवेशनों में विचार किए गए सभी प्रश्न अध्यक्ष सहित उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा विनिश्चित किए जाएंगे और यदि मत समान रूप से विभाजित हो जाते हैं तो अध्यक्ष निर्णायक मत रखेगा ।

(7) अध्यक्ष, यदि उपस्थित है तो, बोर्ड के प्रत्येक अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा :

परंतु अध्यक्ष की अनुपस्थिति में, उपस्थित सदस्य अधिवेशन की अध्यक्षता करने के लिए अपने में से एक सदस्य को निर्वाचित करेंगे ।

(8) प्रत्येक अधिवेशन की लिखित सूचना, कुल-सचिव द्वारा प्रत्येक सदस्य को, उसमें अधिवेशन का स्थान, तारीख और समय वर्णित करते हुए अधिवेशन की तारीख से कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व, भेजी जाएगी :

परंतु अध्यक्ष, अत्यावश्यक मामलों पर विचार करने के लिए अन्य सूचना पर बोर्ड का विशेष अधिवेशन बुला सकेगा ।

(9) सूचना को बोर्ड के कार्यालय में यथा अभिलिखित प्रत्येक सदस्य के पते पर, दस्ती परिदत्त की जा सकेगी या पंजीकृत डाक द्वारा या ई-मेल अथवा फॅक्स द्वारा भेजी जा सकेगी और इस प्रकार भेजी गई सूचना को उस समय सम्यक् रूप से परिदत्त किया गया समझा जाएगा जिसको सूचना डाक के साधारण अनुक्रम में परिदत्त की गई होती ।

(10) कार्यसूची अधिवेशन से कम से कम दस दिन पूर्व सभी सदस्यों को कुल-सचिव द्वारा परिचालित की जाएगी ।

(11) कार्यसूची में किसी मद को सम्मिलित करने के लिए प्रस्ताव सूचना अधिवेशन से कम से कम एक सप्ताह पूर्व कुल-सचिव के पास पहुंच जानी चाहिए :

परंतु अध्यक्ष ऐसी किसी मद के, जिसके लिए सम्यक् सूचना प्राप्त नहीं हुई है, सम्मिलित किए जाने को अनुज्ञात कर सकेगा ।

(12) प्रक्रिया के सभी प्रश्नों के संबंध में अध्यक्ष का विनिर्णय अंतिम होगा ।

(13) बोर्ड के अधिवेशन की कार्यवाही के कार्यवृत्त कुल-सचिव द्वारा तैयार किए जाएंगे और भारत में उपस्थित बोर्ड के सभी सदस्यों को परिचालित किए जाएंगे और उनको प्रस्तावित किसी संशोधन के साथ पुष्टिकरण के लिए बोर्ड के अगले अधिवेशन में उसके समक्ष रखे जाएंगे और कार्यवृत्तों की पुष्टि और अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने के पश्चात् उनको कार्यवृत्त पुस्तक में अभिलिखित किया जाएगा ।

(14) कार्यवृत्त पुस्तक को कार्यालय सभ्य के दौरान सभी समय पर बोर्ड और परिषद् के सदस्यों के निरीक्षण के लिए खुला रखा जाएगा ।

(15) यदि बोर्ड का कोई सदस्य बोर्ड से अनुपस्थिति इजाजत के बिना लगातार तीन अधिवेशनों में उपस्थित रहने में असफल रहता है तो वह बोर्ड का सदस्य नहीं रहेगा ।

(16) वित्त से संबंधित कोई विषय बोर्ड के समक्ष तब तक नहीं रखा जाएगा जब तक उस पर वित्त समिति द्वारा विचार न कर लिया गया हो ।

(17) कोई ऐसा विषय, जिस पर निर्माण और संकर्म समिति द्वारा पहले विचार किया जाना चाहिए, बोर्ड के समक्ष तब तक नहीं रखा जाएगा जब तक कि उस पर बोर्ड का प्रशासनिक अनुमोदन अभिप्राप्त करने के पश्चात् निर्माण और संकर्म समिति द्वारा विचार न कर लिया गया हो ।

5. बोर्ड की शक्तियाँ—अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (1) के अधीन उपबंधित शक्तियों के अतिरिक्त बोर्ड निम्नलिखित के लिए सशक्त होगा :—

(i) संस्थान में किसी पद की नामावली को समाप्त करना, पुनः अभिविष्ट या परिवर्तित करना ;

(ii) समय-समय पर कुलाध्यक्ष की पूर्व अनुमति से परिनियम बनाना, उन्हें उपांतरित या समाप्त करना ;

परंतु नए परिनियम, विद्यमान परिनियमों में जोड़ा जाना या उनमें संशोधन केवल कुलाध्यक्ष की सहमति के पश्चात् लागू होंगे ; और

(iii) संस्थान की वित्त समिति या सिनेट की सिफारिश पर सभी या किन्हीं अध्यादेशों को इस शर्त के अधीन बनाया जाना, उपांतरित और समाप्त किया जाना कि ऐसा बनाया जाना, उपांतरित और समाप्त किया जाना अधिनियम और (या) परिनियमों के उल्लंघन में नहीं होगा ।

6. बोर्ड के आदेशों का अधिप्रमाणन—बोर्ड के सभी आदेशों और दिनिश्चयों को इस निमित्त बोर्ड द्वारा प्राधिकृत निदेशक या कुल-सचिव या किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा ।

7. सिनेट—(1) सिनेट, जब कभी आवश्यक हो, बुलाई जाएगी किंतु साधारणतः एक कलेंडर वर्ष के दौरान चार बार से कम नहीं बुलाई जाएगी ।

(2) सिनेट के अधिवेशन सिनेट के अध्यक्ष द्वारा या तो अपनी स्वप्रेरणा से या सिनेट के एक बटा पांच से अन्यून सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित अध्यक्षता पर बुलाया जाएगा ।

(3) अध्यक्षता अधिवेशन, कार्यसूची की केवल उन मदों पर, जिनके लिए अध्यक्षता दी गई है, विचार-विमर्श करने के लिए विशेष अधिवेशन होगा और उसकी आवश्यक रूप से निदेशक द्वारा अध्यक्षता की जाएगी तथा अध्यक्षता अधिवेशन सिनेट के अध्यक्ष द्वारा सुविधाजनक तारीख और समय पर बुलाया जाएगा ।

(4) सिनेट के कुल सदस्यों के एक-तिहाई सदस्यों से सिनेट के अधिवेशन की गणपूर्ति होगी ।

(5) निदेशक, सिनेट के प्रत्येक अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा :

परंतु निदेशक की अनुपस्थिति में, उप निदेशक अध्यक्षता करेगा और निदेशक तथा उप निदेशक, दोनों की अनुपस्थिति में उपस्थित ज्येष्ठतम आचार्य अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा ।

(6) कार्यसूची के साथ प्रत्येक अधिवेशन की लिखित सूचना अधिवेशन से कम से कम एक सप्ताह पूर्व सिनेट के सदस्यों को कुल-सचिव द्वारा परिचालित की जाएगी :

परंतु सिनेट का अध्यक्ष किसी ऐसी मद को, जिसके लिए सम्यक् सूचना नहीं दी गई है, सम्मिलित करने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा ।

(7) उप परिनियम (6) के उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी, निदेशक, विशेष मामलों पर विचार करने के लिए अल्पसूचना पर सिनेट का कोई आपात अधिवेशन बुला सकेगा ।

(8) प्रक्रिया के सभी प्रश्नों के संबंध में सिनेट के अध्यक्ष का विनिर्णय अंतिम होगा।

(9) सिनेट के अधिवेशन की कार्यवाहियों के कार्यवृत्त, शैक्षणिक संकाय अध्यक्ष के परामर्श से कुल-सचिव द्वारा तैयार किए जाएंगे और भारत में उपस्थित सिनेट के सभी सदस्यों को परिचालित किए जाएंगे ;

परंतु यदि सिनेट ऐसे परिचालन को संस्थान या भारत सरकार को हितों के प्रतिकूल समझता है तो ऐसा कोई कार्यवृत्त परिचालित नहीं किया जाएगा।

(10) कार्यवृत्त प्रस्तावित संशोधनों, यदि कोई हों, के साथ सिनेट के आगामी अधिवेशन में पुष्टिकरण के लिए रखे जाएंगे और कार्यवृत्तों की पुष्टि और सिनेट के अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने के पश्चात् उनको कार्यवृत्त पुस्तक में अभिलिखित किया जाएगा, जो कार्यालय समय के दौरान सभी समय पर सिनेट के सदस्यों, बोर्ड और परिषद् के निरीक्षण के लिए खुली रहेगी।

8. सिनेट की शक्तियाँ—अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, सिनेट को निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी :—

(i) विभिन्न विभागों और केंद्रों के लिए पाठ्यक्रमानुसार अध्ययनों हेतु पाठ्यचर्या और पाठ्य विवरण को विरचित और पुनर्विलोकित करना ;

(ii) परीक्षाओं के संचालन के लिए व्यवस्थाएं करना, परीक्षकों, अनुसीमकों, सारणीकारों की नियुक्ति करना और परीक्षाओं से संबंधित अन्य विषय ;

(iii) परीक्षाओं के परिणाम घोषित करना या ऐसा करने के लिए समितियों या अधिकारियों की नियुक्ति करना और डिग्री, डिप्लोमा तथा अन्य शैक्षणिक विशिष्टताओं या उपाधियों को प्रदान या अनुदान करने से संबंधित बोर्ड को सिफारिशें करना ;

(iv) विभागों या केंद्रों के कार्य से संबद्ध शैक्षणिक विषयों पर सिफारिशें करने के लिए संस्थान के विभागों या केंद्रों के लिए सलाहकार समितियाँ या विशेषज्ञ समितियाँ या दोनों की नियुक्तियाँ करना ;

(v) ऐसे विनिर्दिष्ट तथा महत्वपूर्ण शैक्षणिक विषयों पर, जो सिनेट द्वारा किसी ऐसी समिति को निर्दिष्ट किए जाएं, सलाह देने के लिए सिनेट के सदस्यों, संस्थान के अन्य शिक्षकों और बाहर से विशेषज्ञों में से समितियाँ नियुक्त करना ;

(vi) विभिन्न विभागों और केंद्रों से संलग्न सलाहकार समितियों और उनकी विशेषज्ञ तथा अन्य समितियों की सिफारिशों पर विचार करना तथा ऐसी कार्रवाई करना (जिसमें बोर्ड को सिफारिशें करना सम्मिलित है), जो प्रत्येक मामले में आवश्यक समझी जाए ;

(vii) विभागों या केंद्रों के क्रियाकलाप का कालिक पुनर्विलोकन करना और समुचित कार्रवाई करना (जिसमें बोर्ड को सिफारिशें करना सम्मिलित है) ;

(viii) संस्थान के पुस्तकालय के कार्य का अधीक्षण करना ;

(ix) संस्थान के भीतर अनुसंधान और शैक्षणिक विकास या क्रियाकलाप का संवर्द्धन करना और उनमें लगे व्यक्तियों से ऐसे अनुसंधान या शैक्षणिक विकास या कार्रवाई पर रिपोर्टें मांगना ;

(x) कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालय और आवासिक होस्टलों के निरीक्षण के लिए उपबंध करना ;

(xi) संस्थान के छात्रों की सह-पाठ्यक्रम क्रियाकलापों को तैयार करना ;

(xii) वृत्तिका, छात्रवृत्ति, पदक और पुरस्कार प्रदान करना और ऐसी शर्तों के अनुसार अन्य पुरस्कार देना, जो पुरस्कारों से संलग्न की जाएं ;

(xiii) विभागों या कार्यक्रमों या केंद्रों के सृजन या पुनःसंरचना और विद्यमान विभागों या उनके केंद्रों की समाप्ति के संबंध में बोर्ड को सिफारिशें करना ;

(xiv) राज्य या देश के विभिन्न भागों या देश के बाहर दूरस्थ शिक्षण रीति के माध्यम से ज्ञान का प्रसार करने के लिए बोर्ड को सिफारिशें करना ; और

(xv) सिनेट के अधिवेशन में नीति या अनुशासनिक विषयों से असंबद्ध सामान्य प्रकृति के विचार-विमर्श के दौरान दो छात्र प्रतिनिधियों तक को आमंत्रित करना ।

9. सिनेट के अध्यक्ष का आपात स्थिति में शक्तियों का प्रयोग किया जाना—यदि सिनेट के अध्यक्ष की राय में कोई ऐसी आपात स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिसमें तुरंत कार्रवाई की जानी अपेक्षित है तो वह ऐसी कार्रवाई, जो वह आवश्यक समझे, कर सकेगा और सिनेट के अगले अधिवेशन में उसके अनुमोदन के लिए उसकी रिपोर्ट करेगा ।

10. वित्त समिति—(1) प्रत्येक संस्थान के लिए एक वित्त समिति होगी, जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

(i) शासक बोर्ड का अध्यक्ष, पदेन अध्यक्ष ;

(ii) निदेशक, पदेन सदस्य ;

(iii) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों से व्यवहार करने वाला संयुक्त सचिव या उसका नाम निर्देशिती और वित्त सलाहकार (मानव संसाधन विकास) या उसके नामनिर्देशिती सदस्य ;

(iv) बोर्ड के सदस्यों में से बोर्ड द्वारा नामनिर्देशित दो व्यक्ति ; और

(v) कुल सचिव, पदेन सदस्य-सचिव ;

परंतु उपरोक्त के अतिरिक्त अध्यक्ष, निदेशक के परामर्श से एक सदस्य को जब कभी आवश्यक पाता है, सहयोजित कर सकेगा ।

(2) वित्त समिति, अधिमानतः शासक बोर्ड के अधिवेशन से पूर्व एक वर्ष में साधारणतः चार बार अधिवेशन करेगी ।

(3) वित्त समिति के तीन सदस्यों से वित्त समिति के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति होगी ।

(4) अध्यक्ष, वित्त समिति के अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा और उसकी अनुपस्थिति में निदेशक अधिवेशन की अध्यक्षता करेगा।

(5) अधिवेशन की सूचना, कार्यसूची में मदों को सम्मिलित करने और कार्यवृत्तों की पुष्टि के संबंध में बोर्ड के अधिवेशनों को लागू इन प्रथम परिनियमों के उपबंध, वित्त समिति के अधिवेशन के संबंध में यथासाध्य अनुसरित किए जा सकेंगे।

(6) वित्त समिति के प्रत्येक अधिवेशन के कार्यवृत्तों की एक प्रति बोर्ड के समक्ष रखी जाएगी।

(7) सभी वित्तीय प्रस्तावों का विचार और अनुमोदन के लिए बोर्ड के समक्ष रखे जाने से पूर्व वित्त समिति के समक्ष रखा जाएगा।

11. वित्त समिति की शक्तियाँ—वित्त समिति को निम्नलिखित शक्तियाँ होंगी :—

(i) निदेशक द्वारा तैयार किए गए संस्थान के वार्षिक बजट की परीक्षा और संवीक्षा करना तथा बोर्ड को सिफारिशें करना ; और

(ii) बोर्ड को या तो बोर्ड या निदेशक की पहल पर या स्वेच्छा से संस्थान को प्रभावित करने वाले किसी वित्तीय प्रश्न पर अपने विचार देना और अपनी सिफारिशें करना।

12. निर्माण और संकर्म समिति—प्रत्येक संस्थान के लिए एक निर्माण और संकर्म समिति होगी, जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगी, अर्थात् :—

(i) निदेशक, पदेन अध्यक्ष ;

(ii) केंद्रीय सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य जो निदेशक या उप सचिव की पंक्ति से नीचे का न हो ;

(iii) शासक बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य ;

(iv) कुल सचिव, पदेन सदस्य-सचिव ;

(v) संकायाध्यक्ष, योजना और विकास या समान स्थिति पर - सदस्य ; और

(vi) केंद्रीय या राज्य सरकार या प्रख्यात स्वायत्त निकाय के सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरी खंड, प्रत्येक से एक सदस्य - सदस्य।

(2) निर्माण और संकर्म समिति, जितनी बार आवश्यक हो, अधिवेशन करेंगी, किंतु साधारणतः एक वर्ष में चार बार से कम नहीं होगी।

(3) निर्माण और संकर्म समिति के अधिवेशन के लिए गणपूर्ति तीन सदस्यों से होगी।

(4) अधिवेशन की सूचना, कार्यसूची में मदों को सम्मिलित करने और कार्यवृत्तों की पुष्टि के संबंध में बोर्ड के अधिवेशन को लागू इन परिनियमों के उपबंध, निर्माण और संकर्म समिति के अधिवेशनों के संबंध में भी यथासाध्य अनुसरित किए जाएंगे।

(5) निर्माण और संकर्म समिति के प्रत्येक अधिवेशन के कार्यवृत्त की एक प्रति बोर्ड के समक्ष रखी जाएगी।

13. निर्माण और संकर्म समिति की शक्तियां और कृत्य—(1) निर्माण और संकर्म समिति,—

(i) बोर्ड के निदेशों के अधीन बोर्ड से आवश्यक प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय की मंजूरी के पश्चात् सभी प्रमुख कार्यों का सन्निर्माण कराएगी ;

(ii) को संस्थान के अनुमोदित बजट उपबंधों के भीतर लघु कार्यों और मरम्मत और अनुसंधान से संबंधित कार्यों के लिए आवश्यक प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय मंजूरी देने की शक्ति होगी ;

(iii) भवनों की लागत और अन्य पूंजीगत कार्य, लघु कार्य, मरम्मत, अनुसंधान और इसी प्रकार के कार्यों की लागत का प्राक्कथन तैयार करवाएगी ;

(iv) डिजाइन की तकनीकी संवीक्षा करने प्राक्कथनों और सामग्री के विनिर्देशों को, जो आवश्यक समझे जाएं, बनाने के लिए उत्तरदायी होगी ;

(v) उपयुक्त ठेकेदारों की भर्ती और टेंडरों की स्वीकृति के लिए उत्तरदायी होगी तथा जहां आवश्यक हो वहां विभागीय कार्यों के लिए निर्देश देने की शक्ति होगी ;

(vi) को टेंडर के अंतर्गत नहीं आने वाली दरों को तय करने और ठेकेदारों के साथ दावों और विवादों को तय करने की शक्ति होगी ।

(2) यदि, निर्माण और संकर्म समिति के अध्यक्ष की राय में कोई ऐसी आपात स्थिति उत्पन्न हो गई है, जिससे तुरंत कार्रवाई किया जाना अपेक्षित है तो वह ऐसी कार्रवाई करेगा और निर्माण और संकर्म समिति तथा बोर्ड को उनके अगले अधिवेशन में उसकी रिपोर्ट देगा ।

(3) निर्माण और संकर्म समिति ऐसे कृत्य का निर्वहन और ऐसी शक्तियों का प्रयोग भी करेगी जो समय-समय पर बोर्ड द्वारा सौंपी जाएं ।

14. अध्यक्ष, शासक बोर्ड की शक्तियां—अधिनियम में उपबंधित शक्तियों के अतिरिक्त, शासक बोर्ड के अध्यक्ष को निम्नलिखित शक्तियां होंगी,—

(i) वह चयन समिति की सिफारिशों पर अधिनियम के उपबंधों के अधीन उन पदों के संबंध में, जिन पर बोर्ड द्वारा नियुक्तियां की जा सकती हैं, वेतनमान के न्यूनतम स्तर से उच्चतर स्तर पर किसी पदधारी के प्रारंभिक वेतन को नियत करने की शक्ति रखेगा ;

(ii) वह समय-समय पर बोर्ड द्वारा अधिकथित किए गए निबंधन और शर्तों के अधीन रहते हुए, संस्थान के निदेशक के सिवाय, कर्मचारिवृंद को प्रशिक्षण के लिए या प्रशिक्षण के अनुक्रम के लिए भेजने की शक्ति रखेगा । निदेशक के भारत से बाहर आकस्मिक भ्रमण को अध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रांथोगिकी संस्थान परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाएगा ;

(iii) वह केंद्रीय सरकार की ओर से संस्थान और निदेशक या उप निदेशक के बीच सेवा संधि को निष्पादित करेगा, किंतु वह ऐसी संधि के अधीन किसी बात के लिए दायी व्यक्तिगत रूप से नहीं होगा ; और

(iv) आपात मामलों में अध्यक्ष बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा और उसके द्वारा पुष्टिकरण और अनुसमर्थन के लिए की गई कार्रवाई से बोर्ड को सूचित करेगा।

15. संस्थान के प्राधिकरण के सदस्यों के यात्रा भत्ते-अधिनियम या इन परिणामों के अधीन गठित या बोर्ड और अन्य प्राधिकारियों द्वारा नियुक्त किए गए बोर्ड के सदस्य और संस्थान के अन्य प्राधिकारी तथा समितियों के सदस्य प्राधिकरणों और उनकी समितियों के अधिवेशनों में हाजिर होने के लिए समय-समय पर बोर्ड द्वारा अधिकथित यात्रा भत्ते, दैनिक भत्ता और बैठक फीस के लिए कटौत होंगे।

16. विभाग और केंद्र-संस्थान उतने विभाग और केंद्र ऐसे नामों से, जैसा बोर्ड द्वारा सिनेट की सिफारिशों पर, समय-समय पर, बजट्रीय उपबंधों के भीतर अनुमोदित करे, संगठित किए जाएंगे।

17. निदेशक और उसकी शक्तियाँ—(1) संस्थान का निदेशक, कुलाध्यक्ष द्वारा, सुविधा आधार पर, उसके द्वारा गठित की गई ऐसी चयन समिति की सिफारिश पर, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनुभव सहित तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अनुभव रखने वाले कम से कम पांच सदस्यों से अध्यक्ष सहित मिलकर बनेगी, नियुक्त किया जाएगा।

(2) निदेशक, पांच वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाएगा और अनुसूची क में विनिर्दिष्ट प्रारूप में संस्थान तथा निदेशक के बीच में किए गए सेवा संविदा के निबंधनों और शर्तों द्वारा शासित होगा।

(3) विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए बनाए गए बजट उपबंधों के अधीन रहते हुए निदेशक ऐसी क्रिया के अनुसार, जो अध्यादेशों में अधिकथित की जाए, व्यय उपगत करने की शक्ति रखेगा।

(4) निदेशक, प्रत्येक मद के लिए केंद्रीय सरकार में विभाग के प्रमुख के लिए विनिर्दिष्ट सीमा तक आवर्ती बजट नियत करते हुए विभिन्न मदों के संबंध में निधियों का विनियोग करने की शक्ति रखेगा।

परंतु ऐसे विनियोग में आगामी वर्षों में, बजट में कोई वृद्धि और कोई दायित्व अंतर्वलित नहीं करेगा।

परंतु यह और कि ऐसा प्रत्येक विनियोग यथाशीघ्र बोर्ड को रिपोर्ट किया जाएगा।

(5) निदेशक, ऐसे अनुबंधों के जो समय-समय पर बोर्ड द्वारा किए जाएं अधीन रहते हुए दस हजार रुपये की सीमा तक के अप्रतिसंश्लेषणीय नुकसान को और पच्चीस हजार रुपये की सीमा तक सामान्य टूट-फूट या अप्रयुक्त होने के कारण खोई हुई या सेवा के अयोग्य होने वाली भंडार की वस्तुओं के अवसूलीय मूल्य को अपलिखित करने की शक्ति रखेगा।

(6) निदेशक, ऐसे बेकार उपकरणों या भंडार की वस्तुओं को, जो निदेशक द्वारा इस प्रयोजन के लिए गठित की गई किसी समिति द्वारा पहचान की जाएं, संस्थान के समीप में किसी शैक्षणिक भवन को, उस सीमा तक, जो समय-समय पर बोर्ड द्वारा विनिश्चित की जाए, संपादन देने की शक्ति रखेगा।

(7) निदेशक, जहाँ वह नियुक्ति प्राधिकारी है, चयन समिति की सिफारिशों पर इस अधिनियम या इन परिनियमों के उपबंध द्वारा उसमें निहित शक्तियों के अधीन उसके द्वारा की गई नियुक्तियों के पदों के संबंध में, न्यूनतम वेतनमान से उच्चतर क्रम पर किसी पदधारी के प्रारंभिक वेतन को, किंतु पाँच वेतनवृद्धियों से अधिक अंतर्वलित न हो, नियत करने की शक्ति रखेगा।

(8) निदेशक, एक वर्ष से अनधिक के लिए ऐसे पारिश्रमिक पर, जो बोर्ड द्वारा निश्चित किया जाए, समय-समय पर आकस्मिकता के लिए संदत्त प्रयोगशालाओं में अध्यापन सहायक कर्मचारिवृंद, तकनीकी व्यक्तियों या तकनीकी अनुदेशकों और कुशल कर्मकारों का नियोजन करने की शक्ति रखेगा।

(9) निदेशक ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, जो अध्यादेशों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, भारत में कर्मचारियों को प्रशिक्षण में भेजने या प्रशिक्षण के अनुक्रम में उपस्थित होने के लिए भेजने की शक्ति रखेगा।

(10) निदेशक किसी भवन को किसी ऐसे प्रयोजन से भिन्न जिसके लिए उसका सन्निर्माण किया गया था, अस्थायी आबंधन को मंजूर करने की शक्ति रखेगा।

(11) यदि कुल-सचिव किसी कारण से एक मास से अनधिक की अवधि के लिए अस्थायी रूप से अनुपस्थित है तो निदेशक कुल-सचिव के किन्हीं कृत्यों को, जैसा वह ठीक समझे, ग्रहण कर सकेगा या संस्थान के किसी संकाय-सदस्य या कर्मचारी को समनुदेशित कर सकेगा :

परंतु यदि किसी समय कुल-सचिव की अस्थायी अनुपस्थिति एक मास से अधिक होती है तो बोर्ड, यदि ठीक समझता है तो, निदेशक को एक मास से अधिक की अवधि के लिए कुल-सचिव के कृत्य ग्रहण करने या समनुदेशित करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

(12) संस्थान और निदेशक के बीच की संविदा के सिवाय संस्थान के लिए और उसकी ओर से सभी संविदाएं इस निमित्त पारित बोर्ड के संकल्प द्वारा लिखित में प्राधिकृत की जाएंगी और संस्थान के नाम में अभिव्यक्त करते हुए की जाएंगी तथा ऐसी प्रत्येक संविदा निदेशक द्वारा संस्थान की ओर से निष्पादित की जाएगी, किंतु निदेशक ऐसी संविदा के अधीन किसी बात के संबंध में व्यक्तिगत रूप से दायी नहीं होगा।

(13) निदेशक, मुख्यालयों से अपनी अनुपस्थिति के दौरान विशेष रूप से उप निदेशक को या उसकी अनुपस्थिति में उपस्थित संकाय अध्यक्षों या ज्येष्ठतम आचार्यों में से एक को कर्मचारिवृंदों का यात्रा भत्ता, आकस्मिकता और श्रिकित्सा उपचार के लिए अग्रिम मंजूरी देने को तथा इस निमित्त बिलों पर हस्ताक्षर या प्रतिहस्ताक्षर करने के लिए लिखित में प्राधिकृत कर सकेगा।

(14) निदेशक, स्वविवेकानुसार से ऐसी समितियाँ, जो वह संस्थान के कृत्यों को सुचारु रूप से चलाने के लिए समुचित समझे, गठित कर सकेगा।

(15) अध्यक्ष के पद पर उसकी मृत्यु या त्यागपत्र या अन्यथा किसी कारण से हुई किसी शक्ति की दशा में या अध्यक्ष के उसकी अनुपस्थिति, बीमारी या किसी अन्य कारण से उसके कृत्यों के निर्वहन में असमर्थ होने की दशा में निदेशक, अधिनियम की धारा 16 के अधीन अध्यक्ष को समनुदेशित कृत्यों का निर्वहन कर सकेगा।

(16) निदेशक, अधिनियम और परिनियमों के आधार पर उसमें निहित की गई उसकी किसी शक्ति, प्राधिकार या उत्तरदायित्व को बोर्ड के अनुमोदन से संस्थान के एक या अधिक शैक्षणिक या प्रशासनिक कर्मचारी के को प्रत्यायोजित कर सकेगा।

18. उप निदेशक—(1) उप निदेशक की नियुक्ति कुलाध्यक्ष के पूर्व अनुमोदन से केंद्रीय सरकार द्वारा गठित की गई ऐसी चयन समिति की, जो अध्यक्ष सहित कम से कम पांच ऐसे सदस्यों से मिलकर बनेगी, जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुभव सहित उच्चतम शिक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञ हो, सिफारिश पर कुलाध्यक्ष द्वारा की जाएगी।

(2) ऐसी नियुक्ति प्रारंभिक रूप से तीन वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी जो बोर्ड की सिफारिश पर दो बार, प्रत्येक बार एक वर्ष के लिए, विस्तारित की जा सकेगी।

(3) उप निदेशक, अनुसूची (ख) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक संस्थान और उप निदेशक के बीच हुए सेवा संधि के नियमों और शर्तों द्वारा शासित होगा।

(4) उप निदेशक, संस्थान के निदेशक के पद पर रिक्ति के दौरान निदेशक की सभी शक्तियां रखेगा।

(5) उप निदेशक, शैक्षणिक और प्रशासनिक कार्यों तथा उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान के अन्य संस्थानों सहित तथा औद्योगिक उपक्रमों और अन्य कर्मचारियों के साथ भी संपर्क बनाए रखने में निदेशक की सहायता करेगा।

19. संकायाध्यक्ष—(1) संस्थान, छह से अधिक संकायाध्यक्षता स्थापित नहीं करेगा।

(2) निदेशक, अध्यक्ष, शासक बोर्ड को सूचना से ही संकायाध्यक्षों की नियुक्ति करेगा।

(3) संकायाध्यक्ष अपने पद को दो वर्षों के लिए धारित करेगा जिसको एक वर्ष और के लिए विस्तारित किया जा सकेगा।

(4) केवल आचार्य या सहयुक्त आचार्य, संकायाध्यक्ष होने के लिए पात्र होंगे।

(5) संकायाध्यक्षों के बोर्ड कृत्य अनुसूची "ग" में प्रगणित किए गए हैं।

20. विभाग या केंद्र के प्रमुख—(1) संस्थान का प्रत्येक विभाग या केंद्र ऐसे प्रमुख के प्रभार में होगा जिसका निदेशक द्वारा उस विभाग या केंद्र के आचार्यों और सहयुक्त आचार्यों में से चयन किया जाएगा।

परंतु यदि किसी विभाग या केंद्र में कोई आचार्य या सहयुक्त आचार्य नहीं है तो निदेशक उस विभाग या केंद्र के किसी सहायक आचार्य को विभाग या केंद्र के प्रमुख के रूप में नियुक्त कर सकेगा।

(2) विभाग या केंद्र का प्रमुख अपने पद को दो वर्ष की अवधि के लिए धारित करेगा।

परंतु अपने पद की अवधि समाप्ति के पश्चात् वह अपने उत्तरावर्ती की नियुक्ति तक पद पर बना रहेगा।

परंतु यह और कि कोई व्यक्ति किसी विभाग या केंद्र का लगातार तीन वर्ष से अधिक की अवधि के लिए प्रमुख नहीं होगा जब तक वह कम से कम द्वितीय अवधि के लिए विशेष रूप से नियुक्त न किया गया हो।

(3) निदेशक छह मास से अनधिक की अवधि के लिए किसी विभाग का अस्थायी प्रभार स्वयं ले सकेगा या किसी अन्य विभाग के उपनिदेशक या किसी आचार्य का प्रभार के अधीन रह सकेगा।

(4) विभाग का प्रमुख, निदेशक के साधारण नियंत्रण और अवीक्षण के अधीन रहते हुए विभाग के संपूर्ण कार्य के लिए उत्तरदायी होगा।

(5) विभाग का प्रमुख यह देखने के लिए कर्तव्य द्वारा आबद्ध होगा कि संस्थान के प्राधिकरणों के और निदेशक के विनिश्चय निष्ठापूर्वक लागू किए जा रहे हैं। वह ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसको निदेशक या सिनेट द्वारा समनुदेशित किए जाएं।

(6) जब विभाग या केंद्र के प्रमुख के पद पर नियुक्ति सम्यक् हो तब निदेशक इस प्रकार नियुक्त होने के लिए प्रमुख के रूप में नियुक्त किए जाने वाले पात्र व्यक्तियों की समीक्षा सुनिश्चित करेगा और साधारणतः पात्र तथा रजामंद व्यक्तियों में से चक्रानुक्रम द्वारा किसी व्यक्ति का चयन करेगा।

(7) जब कभी चक्रानुक्रम के सिद्धांत से विचलित होना प्रस्तावित हो तब ऐसी नियुक्ति केवल अध्यक्ष, शासक बोर्ड के पूर्व अनुमोदन से और लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से की जाएगी तथा सिनेट और बोर्ड के आगामी अधिवेशनों में विचलन के कारणों सहित सिनेट और बोर्ड को रिपोर्ट भी किया जाएगा।

21. कुल-सचिव

(1) कुल-सचिव, प्रतिनियुक्ति या संविदा आधार पर पांच वर्ष से अनधिक की किसी नियत अवधि के लिए नियुक्त होगा।

(2) कुल-सचिव बोर्ड, सिनेट और ऐसी अन्य समितियों के जिसके लिए वह इस प्रकार कार्य करने को परिनियमों द्वारा अपेक्षित किया जा सकेगा, सचिव के रूप में कार्य करेगा।

22. कर्मचारियों का वर्गीकरण

(1) आकस्मिक व्यय से संदत्त कर्मचारियों के मामले के सिवाय संस्थान के कर्मचारियों निम्नलिखित रूप में वर्गीकृत होंगे :—

(i) शैक्षणिक कर्मचारियों : निदेशक, उप निदेशक, आचार्य, सहयुक्त आचार्य, सहायक आचार्य, प्राध्यापक, प्रशिक्षण और स्थानन आचार्य और ऐसे अन्य शैक्षणिक पद जो बोर्ड द्वारा समय-समय पर विनिश्चित किए जाएं ;

(ii) तकनीकी कर्मचारी- तंत्र प्रबंधक, तंत्र विश्लेषक, कार्यक्रमकर्ता, पुस्तकालय अध्यक्ष, कार्यशाळा अधीक्षक, सहायक कार्यशाळा अधीक्षक, फोरमैन, तकनीकी, प्रशिक्षक, प्रयोगशाळा सहायक, मैकेनिक, सर्वेक्षक, तकनीकी सहायक, प्रारूपकर्ता और ऐसे अन्य तकनीकी पद जिन्हें बोर्ड द्वारा समय-समय पर विनिश्चित किया जाए और

(iii) प्रशासनिक और अन्य कर्मचारिवृंद - कुलसचिव, उपकुलसचिव और सहायक कुल सचिव, लेखा अधिकारी, संपत्ति अधिकारी, संपदा अधिकारी, कार्यपालक इंजीनियर, सहायक और कनिष्ठ इंजीनियर, चिकित्सा अधिकारी, चिकित्सा सहायक, उद्यान-कृषि सहायक/अधिकारी, कार्यालय अधीक्षक, सुरक्षा अधिकारी, भंडार अधिकारी, भंडारी, कार्यालय सहायक, आंकड़े प्रविष्टि प्रचालक और ऐसे अन्य प्रशासनिक तथा अन्य कर्मचारी जैसे बोर्ड द्वारा समय-समय पर विनिश्चित किए जाएं।

(2) शैक्षणिक कर्मचारिवृंद के रूप में वर्गीकृत पद केवल प्रावकाश पद होंगे।

23. नियुक्तियां

(1) संस्थान के पद अखिल भारतीय स्तर पर विज्ञापन द्वारा भरे जाएंगे :

परंतु निदेशक या उप निदेशक के पदों से भिन्न पदों के लिए सीधी भर्ती या प्रोन्नति वाले पदों के बीच अनुपात भर्ती नियमों के अनुसार होगा।

(2) पदों का आरक्षण केन्द्रीय सरकार के नियमों के अनुसार होगा।

(3) नियुक्ति के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को लागू नियम, लागू होंगे।

(4) संस्थान के कर्मचारिवृंदों में से विज्ञापन द्वारा या प्रोन्नति द्वारा संस्थान के अधीन पदों को (संविदा आधार पर पदों से भिन्न) भरने के लिए चयन समितियों का ऐसी रीति से जो मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर और माध्यमिक शिक्षा विभाग, भारत सरकार या बोर्ड द्वारा समय-समय पर अध्यादेशों द्वारा अधिकृत की जाएं, गठन किया जाएगा।

(5) संस्थान के कर्मचारिवृंदों में से विज्ञापन द्वारा या प्रोन्नति द्वारा संस्थान के अधीन पदों को (संविदा आधार से भिन्न) भरने के लिए चयन समितियों का निम्नलिखित रीति से गठन किया जाएगा, अर्थात् :-

(क), शैक्षणिक कर्मचारीवृंद की (निदेशक और उपनिदेशक को छोड़कर) सीधी भर्ती के लिए या प्रोन्नति के लिए चयन समिति निम्न प्रकार होगी :

(1) निदेशक या उप निदेशक

अध्यक्ष

(2) कुलाध्यक्ष का नाम निर्देशिनी

सदस्य

(3) बोर्ड के दो नाम निर्देशिनी जिसमें एक विशेषज्ञ होगा किंतु बोर्ड के सदस्य से भिन्न-

सदस्य

- | | |
|---|-------|
| (4) संस्थान से बाहर का सिनेट का एक विशेषज्ञ नामनिर्देशिती-- | सदस्य |
| (5) संबद्ध विभाग का प्रमुख (आचार्य के पद से भिन्न के लिए) - | सदस्य |

(ख) तकनीकी पदों के लिए चयन समिति निम्न प्रकार होगी :

- | | |
|--|---------|
| (1) निदेशक या उप निदेशक - | अध्यक्ष |
| (2) संस्थान से बाहर का एक विशेषज्ञ - | सदस्य |
| (3) मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम निर्देशिती - | सदस्य |
| (4) संबद्ध विभाग का प्रमुख-- | सदस्य |
| (5) कुल सचिव- | सदस्य |

(ग) प्रशासनिक और अनुसन्धीय कर्मचारिवृद्ध के लिए चयन समिति निम्न प्रकार होगी :

- | | |
|--|---------|
| 1) निदेशक या उप निदेशक - | अध्यक्ष |
| (2) संस्थान से बाहर का एक विशेषज्ञ - | सदस्य |
| (3) मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम निर्देशिती - | सदस्य |
| (4) कुल सचिव- | सदस्य |

(घ) ज्येष्ठ प्रशासनिक और प्रध्यापक तथा उससे ऊपर के वेतनमान वाले अन्य सदृश्य पदों के लिए चयन समिति निम्न प्रकार होगी :

- | | |
|--|---------|
| (1) निदेशक या उप निदेशक - | अध्यक्ष |
| (2) संस्थान से बाहर का एक विशेषज्ञ - | सदस्य |
| (3) मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम निर्देशिती - | सदस्य |
| (4) बोर्ड का नामनिर्देशिती- | सदस्य |
| (5) कुल सचिव - | सदस्य |

(6) यदि चयन कुल सचिव या समतुल्य पद के लिए किया जाता है तो कुल सचिव को बोर्ड के दूसरे नाम निर्देशिती से प्रतिस्थापित किया जाएगा ।

(7) उप निदेशक की अनुपस्थिति में निदेशक संस्थान के किसी कर्मचारिवृद्ध को उसके स्थान पर चयन समिति के सदस्य के रूप में नामनिर्देशित कर सकेगा ।

(8) जहाँ कोई पद संविदा आधार पर या आमंत्रण द्वारा भरा जाना है वहाँ बोर्ड ऐसी तदर्थ चयन समिति जैसी प्रत्येक मामले की परिस्थितियों में अपेक्षित हो, गठित कर सकेगा।

(9) जहाँ किसी पद को संस्थान के सदस्यों में से प्रोन्नति द्वारा या अस्थायी रूप से बारह मास से अनधिक की अवधि के लिए भरा जाना है वहाँ उसके लिए प्रक्रिया वैसी होगी जो अध्यादेशों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी।

(10) इन परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी बोर्ड विभाग (विभागों) या केन्द्र (केन्द्रों) की अत्यावश्यकता के लिए उचित विशेष कौशल या ज्ञान रखने वाले व्यक्तियों की नियुक्ति करने की शक्ति रखेगा।

(11) यदि पद को विज्ञापन द्वारा भरा जाना है तो कुल सचिव पद के निबंधन और शर्तों को विज्ञापित करेगा तथा पात्र और सर्वाधिक वांछनीय अभ्यर्थियों को चयनित सूची के प्रयोजन के लिए अनुवेक्षण समिति विज्ञापन में विनिर्दिष्ट तारीख के भीतर प्राप्त सभी आवेदनों का अनुवेक्षण करेगी।

(12) साक्षात्कार के समय चयन समिति ऐसे सभी अभ्यर्थियों के जो साक्षात्कार के लिए बुलाए गए हैं प्रत्यायकों की परीक्षा करेगी, पात्र अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लेगी और सर्वाधिक उपयुक्त अभ्यर्थी की नियुक्ति की सिफारिश सक्षम प्राधिकारी को अनुमोदन के लिए करेगी।

(13) चयन समिति की सिफारिशें साक्षात्कार की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए विधिमान्य रहेंगी और यदि सिफारिशें किसी कारण से सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित नहीं की जाती हैं या नियुक्ति आदेश सिफारिशों के अनुमोदन के पश्चात् एक वर्ष की उक्त अवधि के भीतर जारी नहीं किए जाते हैं तो सिफारिशें समाप्त हो जाएंगी और नया विज्ञापन जारी किया जाएगा।

(14) किसी चयन समिति का कोई कार्य या प्रक्रिया केवल चयन समिति के किसी सदस्य या सदस्यों की अनुपस्थिति के आधार पर प्रश्नगत नहीं की जाएगी।

(15) जब तक कि इन परिनियमों के अधीन अन्यथा उपबंध न किया जाए तब तक किसी पद पर नियुक्ति के लिए सिफारिशें करने के प्रयोजन के लिए गठित की गई चयन समिति उस पद के संबंध में अपने कृत्यों का निर्वहन उस पद पर नियुक्ति किए जाने तक जारी रखेगी।

(16) संस्थान में की गई सभी नियुक्तियाँ बोर्ड के अगले अधिवेशन में उसको रिपोर्ट की जाएंगी।

(17) सुनिश्चित वृत्ति प्रगति (ए.सी.पी.) के अधीन प्रोन्नति के लिए पात्र कर्मचारियों के आवेदन किसी प्रोन्नति या उन्नयन के लिए सिफारिश किए जाने से पूर्व विभागीय प्रोन्नति समितियों द्वारा विचारित किए जाएंगे।

(18) विभागीय प्रोन्नति समितियाँ निम्न प्रकार होंगी :-

1. निदेशक या उप निदेशक-

अध्यक्ष

- | | |
|-----------------------------------|-------|
| 2. संबद्ध विभाग का प्रमुख - | सदस्य |
| 3. अन्य विभाग से विभाग का प्रमुख- | सदस्य |
| 4. कुल सचिव- | सदस्य |
24. स्थायी कर्मचारियों की सेवा के साधारण निबंधन और शर्तें :

संस्थान के स्थायी कर्मचारी निम्नलिखित निबंधनों और शर्तों द्वारा शासित होंगे :-

(i) अधिनियम और परिनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए, संस्थान के अधीन पदों पर सभी नियुक्तियाँ एक वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर किए जाएंगे, जिसके पश्चात् वह अवधि, यदि नियुक्त व्यक्ति की जिसकी यदि पुष्टि कर दी जाती है, अधिनियमों और परिनियमों के उपबंधों के अधीन रहते हुए उस मास की जिसमें उसने यथास्थिति शैक्षणिक पदों के लिए, अशैक्षणिक तकनीकी और अनुसचिवीय तथा प्रशासनिक पदों के लिए विहित अधिकतम आयु प्राप्त करता है समाप्ति तक अपने पद पर बने रहने के लिए जारी रहेगी :

परंतु नियुक्ति प्राधिकारी, संस्थान के किसी कर्मचारी की परीक्षा की अवधि को ऐसी अवधियों के लिए जैसी वह ठीक समझे, विस्तारित करने की शक्ति रखेगा ।

(ii) अधिवर्षिता की आयु वैसी होगी जो केन्द्रीय सरकार द्वारा संस्थान के कर्मचारियों के विभिन्न वर्गों और प्रवर्गों के लिए विनिर्दिष्ट की जाए ।

(iii) संस्थान के कर्मचारी, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए यथा अनुज्ञेय वेतन के अतिरिक्त भत्तों के लिए हकदार होंगे ।

(iv) संस्थान के कर्मचारी, केन्द्रीय सिविल सेवा (चिकित्सीय परिचर्या) नियम, 1944 के अनुसार उनके और उनके कुटुंबों पर उपगत चिकित्सीय व्ययों की प्रतिपूर्ति के लिए हकदार होंगे ।

(v) संस्थान के कर्मचारी केन्द्रीय सिविल सेवा (आवरण) नियम, 1964 द्वारा शासित होंगे ।

(vi) ऐसे कर्मचारी जो 1.1.2004 को या उसके पश्चात् नियुक्त किए गए हैं भारत सरकार द्वारा घोषित नई पेंशन स्कीम द्वारा शासित होंगे ।

(vii) संस्थान के कर्मचारियों के आवेदन का संस्थान के बाहर नियोजन के लिए अनुसूची-घ में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार एक वर्ष में केवल तीन बार अग्रेषित किए जाएंगे ।

(viii) संस्थान के कर्मचारी, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को यथा अनुज्ञेय छुट्टी यात्रा रियायत (एलटीसी) के लिए हकदार होंगे ।

(ix) अतिकालिक और रात्रि भत्ता, जैसा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को यथा अनुज्ञेय है के अनुसार संस्थान के पात्र कर्मचारियों को संदत्त किया जाएगा ।

25. स्थायी कर्मचारियों के लिए आचार संहिता

कर्मचारियों के लिए आचार संहिता, केन्द्रीय सरकार के परामर्श से प्रत्येक संस्थान द्वारा बनाई जाएगी।

26. निलंबन, शास्तियां, अनुशासनिक प्रक्रियाएं

(1) निदेशक, संस्थान में नियुक्त कर्मचारी को वहां निलंबन के अधीन रख सकेगा, जहां :-

- (i) उसके विरुद्ध कोई अनुशासनिक कार्यवाई अनुध्यात है या लंबित है ; या
- (ii) किसी दांडिक अपराध के संबंध में उसके विरुद्ध कोई मामला अन्वेषण, जांच या विचारण के अधीन है :

परंतु जहां कोई कर्मचारी 48 घंटे से अधिक की अवधि के लिए चाहे किसी दांडिक आरोप में या अन्यथा, अभिरक्षा में निरुद्ध किया गया है वहां ऐसा कर्मचारी इस प्रकार उसको निरुद्ध किए जाने की तारीख से निलंबन के अधीन सक्षम अधिकारी के आदेश द्वारा रखा गया समझा जाएगा।

(2) निलंबन की अवधि के दौरान कर्मचारी निम्नलिखित संदायों के लिए हकदार होगा, अर्थात्:-

(क) छुट्टी वेतन के बराबर राशि का निर्वाह भत्ता, जिसे कर्मचारी ने तब प्राप्त किया होता यदि वह अर्धवेतन छुट्टी पर रहा होता और ऐसे छुट्टी वेतन के आधार पर मंहगाई भत्ता, यदि अनुज्ञेय हो :

परन्तु जहां निलंबन की अवधि छह मास से अधिक है, वहां निर्वाह भत्ता निम्न प्रकार होगा :

(i) निर्वाह भत्ते की राशि में पहले छह मास की अवधि के दौरान अनुज्ञेय निर्वाह भत्ते के पचास प्रतिशत से अनधिक की उपयुक्त राशि तक वृद्धि की जा सकेगी यदि सक्षम प्राधिकारी की राय में, निलंबन की अवधि को, लेखबद्ध किए जाने वाले ऐसे कारणों से बढ़ाया गया है जिसे सीधे संबद्ध कर्मचारी के कारण हुआ नहीं माना जा सकता है ;

(ii) निर्वाह भत्ते की राशि में जो पहले छह मास की अवधि के दौरान अनुज्ञेय निर्वाह भत्ते के पचास से अनधिक की उपयुक्त राशि तक कटौती की जा सकेगी यदि सक्षम प्राधिकारी की राय में, निलंबन की अवधि को लेखबद्ध किए जाने वाले ऐसे कारणों से बढ़ाया गया है जिसे सीधे संबद्ध कर्मचारी के कारण हुआ माना जा सकता है ;

(ख) मंहगाई भत्ते की दर उपपरिनियम 2 के अधीन अनुज्ञेय निर्वाह भत्ते की यथास्थिति, बढ़ी हुई या घटी हुई राशि पर आधारित होगी।

(ग) समय-समय पर अनुज्ञेय कोई अन्य प्रतिकरात्मक भत्ता, जो ऐसे वेतन के आधार पर जिसको कर्मचारी सदस्य ऐसे भत्तों के आहरण के लिए अधिकथित अन्य शर्तों को पूरा करने के अधीन रहते हुए निलंबन की तारीख को प्राप्त कर रहा था।

(3) तब तक कोई संदाय नहीं किया जाएगा जब तक कि कर्मचारी यह प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं कर देता है कि वह किसी अन्य नियोजन, कारबार, वृत्ति या व्यवसाय में नहीं लगा हुआ है।

(4) शासक बोर्ड की यदि यह राय है कि मामले की परिस्थितियों से कर्मचारी के निलंबन का समुचित आधार नहीं है तो ऐसे आदेश को प्रतिसंहारित कर सकेगा।

(5) किसी कर्मचारी पर निम्नलिखित शास्तियां अधिरोपित की जा सकेंगी :-

(i) परिनिदा ;

(ii) वेतनवृद्धि या वेतन का रोकना ;

(iii) प्रोन्नति का रोकना ;

(iv) उपेक्षा या आदेशों के भंग से संस्थान को कारित हुई किसी घनीय हानि का संपूर्ण या उसके भाग का उसके वेतन से वसूली ;

(v) संचयी प्रभाव के बिना और उसकी पेंशन पर (जहां कहीं लागू हो) प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना तीन वर्ष की अवधि के लिए निम्नतर श्रेणी या पद में या निम्नतर काल-वेतनमान में या काल-वेतनमान के निम्नतर क्रम में अवनति करना ;

(vi) अनिवार्य सेवानिवृत्ति ;

(vii) सेवा से हटाया जाना जो संस्थान के अधीन भविष्य के किसी नियोजन के लिए कोई निरर्हता नहीं होगी ;

(viii) सेवा से हटाया जाना जो संस्थापक संस्थान के अधीन भविष्य के किसी नियोजन के लिए निरर्हता नहीं होगी।

(6) उपरोक्त (v) से (viii) पर विनिर्दिष्ट शास्तियों को किसी कर्मचारी पर अधिरोपित करते हुए कोई आदेश किसी प्राधिकारी द्वारा उस अधीनस्थ के विरुद्ध जिसके द्वारा वह नियुक्त किया गया है, पारित नहीं किया जाएगा और सिवाय कोई जांच किए जाने और कर्मचारी को इस संबंध में की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध कारण दर्शाने का युक्तियुक्त अवसर दिए जाने के पश्चात्।

(7) उपरोक्त (i) से (iv) पर विनिर्दिष्ट शास्तियों को किसी कर्मचारी पर अधिरोपित करते हुए कोई आदेश किसी प्राधिकारी द्वारा उस अधीनस्थ के विरुद्ध जिसके द्वारा वह नियुक्त

किया गया है, तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि संबद्ध कर्मचारी को नियुक्ति प्राधिकारी को अभ्यावेदन करने का एक अवसर नहीं दिया गया है :

परंतु उप परिनियम (5) और उपपरिनियम (6) के उपबंध निम्नलिखित को लागू नहीं होंगे :-

(क) जहां कोई कर्मचारी ऐसे आचरण के जिससे किसी दंडिक आरोप पर उसका दोषतिद्ध होता हो, आधार पर पदच्युत किया गया है या हटाया गया है या पंक्ति में कमी की गई है ;

(ख) जहां किसी व्यक्ति को पदच्युत करने या हटाने या उसको पंक्ति में उसको कम करने के लिए सशक्त प्राधिकारी का यह समाधान हो गया है कि लिखित में उस प्राधिकारी द्वारा अभिलिखित किए जाने वाले कारण से उस व्यक्ति को ऐसा अवसर देना युक्तियुक्त रूप से संभव नहीं है ; या

(ग) जहां कुलाध्यक्ष का समाधान हो गया है कि राज्य की सुरक्षा के हित में उस व्यक्ति को ऐसा अवसर दिया जाना समीचीन नहीं है ।

(8) यदि उपरोक्त ऐसे व्यक्ति के संबंध में कोई प्रश्न उत्पन्न है चाहे खंड (घ) के अधीन निर्दिष्ट कोई अवसर दिया जाना युक्तियुक्त रूप से संभव है तो, यथास्थिति, ऐसे व्यक्ति को पदच्युत करने या हटाने या पंक्ति में उसको कम करने के लिए सशक्त प्राधिकारी का उस पर विनिश्चय अंतिम होगा ।

(9) निदेशक द्वारा उसके विरुद्ध पारित शास्ति के अधिरोपण किए जाने वाले किसी आदेश से व्यथित कोई कर्मचारी आदेश के विरुद्ध शासक बोर्ड को अपील किए जाने का हकदार होगा और बोर्ड के विनिश्चय के विरुद्ध कोई और अपील नहीं होगी ।

(10) किसी कर्मचारी पर शास्ति अधिरोपित करने के बोर्ड द्वारा पारित किसी आदेश से व्यथित कोई कर्मचारी ऐसे आदेश के विरुद्ध कुलाध्यक्ष को अपील करने का हकदार होगा ।

(11) यथास्थिति, शासक बोर्ड या कुलाध्यक्ष द्वारा कोई अपील तब ग्रहण की जाएगी जब तक उस तारीख से जिसको अपील किए जाने वाले आदेश की एक प्रति ऐसे आदेश से व्यथित कर्मचारी प्राप्त करता है, तीन मास की अवधि के भीतर की गई हो :

परंतु अपील प्राधिकारी उक्त अवधि के समाप्त होने के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी के पास समय से अपील प्रस्तुत न करने के लिए समुचित कारण है ।

(12) प्राधिकारी, जिसको शास्ति अधिरोपित किए जाने वाले किसी आदेश के विरुद्ध कोई अपील की जाती है, निदेशक या बोर्ड से मामले का अभिलेख, स्वप्रेरणा से या अन्यथा मांग सकेगा, ऐसे मामले में पारित किसी आदेश का यथास्थिति पुनर्विलोकन कर सकेगा और ऐसे आदेश पारित कर सकेगा जैसा वह ठीक समझे ।

(13) इस परिनियम में किसी बात के होते हुए भी कुलाध्यक्ष अपनी स्वप्रेरणा से या अन्यथा मामले के अभिलेख को मांगने के पश्चात् ऐसे आदेश का जो इस परिनियम के अधीन किया गया है, पुनर्विलोकन कर सकेगा, और —

(क) आदेश की पुष्टि, उपांतरित या अपास्त कर सकेगा ;

(ख) किसी शास्ति को अधिरोपित कर सकेगा या आदेश द्वारा अधिरोपित शास्ति को अपास्त, कम, पुष्ट या बढ़ा सकेगा ।

(ग) और मामले को उस प्राधिकारी को जिसने आदेश किया है विप्रेषित कर सकेगा या किसी अन्य प्राधिकारी को ऐसी और कार्यवाई या जांच का जैसा वह मामले की परिस्थितियों में उचित समझे निदेश देते हुए भेज सकेगा, या

(घ) ऐसा कोई अन्य आदेश जैसा वह ठीक समझे पारित कर सकेगा ;

परंतु किसी शास्ति को अधिरोपित या बढ़ाने वाला कोई आदेश तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि संबद्ध व्यक्ति को किसी ऐसे अभ्यावेदन को जिसको वह ऐसी बढ़ाई गई शास्ति के विरुद्ध करने की इच्छा करे, करने का अवसर न दिया गया हो ।

(14) (क) जब संस्थान का कोई ऐसा कर्मचारी जो पदच्युत, हटाया या निलंबित किया गया है, पुनः स्थापित किया गया हो, पुनःस्थापन के आदेश देने में सक्षम प्राधिकारी निम्नलिखित के संबंध में विचार करेंगे और विनिर्दिष्ट आदेश करेंगे :-

(i) कर्तव्य से अपनी अनुपस्थिति की अवधि के लिए संस्थान के कर्मचारी को संदत्त किए जाने वाले वेतन और भत्ते के संबंध में ; और

(ii) क्या उक्त अवधि को कर्तव्य में बिताई गई अवधि के रूप में माना जाएगा या नहीं ;

(ख) जहां ऐसा सक्षम प्राधिकारी यह धारित करता है कि संस्थान का कर्मचारी पूर्ण रूप से मुक्त हो चुका है या निलंबन की दशा में यह पूर्ण रूप से अन्यायपूर्ण था तो संस्थान के कर्मचारी को ऐसा पूरा वेतन दिया जाएगा जिसके लिए वह हकदार होता यदि वह यथास्थिति पदच्युत, हटाया या निलंबित नहीं किया गया होता और ऐसे किसी भत्ते को भी जिसको उसके पदच्युत, हटाए या निलंबित किए जाने से पूर्व प्राप्त करता, दिया जाएगा ;

(ग) अन्य मामलों में संस्थान के कर्मचारी को ऐसे वेतन या भत्तों को ऐसे अनुपात में दिया जाएगा जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ;

परंतु खंड (ख) या खंड (ग) के अधीन भत्तों का संदाय ऐसी अन्य शर्तों के अधीन रहते हुए होगा जो ऐसे भत्तों के लिए अनुज्ञेय हैं ;

(घ) खंड (ख) के अधीन आने वाले मामलों में कर्तव्य से अनुपस्थिति की अवधि को सभी प्रयोजनों के लिए कर्तव्य में बिताई गई अवधि के रूप में माना जाएगा ;

(ड) खंड(ग) के अधीन आने वाले मामलों में कर्तव्य से अनुपस्थित रहने की अवधि को कर्तव्य में बिताई गई अवधि के रूप में तब तक नहीं माना जाएगा जब तक कि सक्षम प्राधिकारी विनिर्दिष्ट रूप से ऐसा निदेश नहीं करता है कि उसको किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन के लिए इस प्रकार जाएगा ।

27. अस्थायी कर्मचारियों की सेवा के साधारण निबंधन और शर्तें

(1) अस्थायी कर्मचारियों की सेवाएं या तो कर्मचारी द्वारा नियुक्ति प्राधिकारी को या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा कर्मचारी को लिखित में एक मास की सूचना पर किसी भी समय समापन के अधीन होगी ।

(2) ऐसे कर्मचारी की सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जैसी नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उसके नियुक्ति पत्र में विनिर्दिष्ट की जाएं ।

28. संविदा पर नियुक्तियां

(1) इन परिनियमों में किसी बात के होते हुए भी, कुलाध्यक्ष की पूर्व अनुमति से बोर्ड, विशेष परिस्थितियों में पांच वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए संविदा पर किसी विख्यात व्यक्ति को नियुक्त कर सकेगी ।

(2) अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए बोर्ड किसी व्यक्ति को संविदा पर तीन वर्ष से अनधिक की अवधि के लिए विहित वेतनमान में और सुसंगत पद के लिए लागू निबंधन और शर्तों पर नियुक्त कर सकेगा ।

(3) ऐसी नियुक्तियां करने के लिए अध्यक्ष का शासक बोर्ड ऐसी तदर्थ चयन समिति का गठन करेगा जैसा प्रत्येक मामले की परिस्थितियों में अपेक्षित हो :

परंतु समिति के ऐसे गठन की पुष्टि के लिए बोर्ड को रिपोर्ट की जाएगी ।

29. भविष्य निधि और पेंशन स्कीमें

1.1.2004 से पूर्व नियुक्त किए गए संस्थान के कर्मचारी, केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 और केन्द्रीय भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवा) नियम, 1960 द्वारा शासित होंगे तथा 1.1.2004 को या उसके पश्चात् नियुक्त किए गए कर्मचारी केन्द्रीय सरकार की नई पेंशन स्कीम द्वारा शासित होंगे ।

30. पदत्याग

इन प्रथम परिनियमों के पूर्वगामी उपबंधों में किसी बात के होते हुए भी संस्थान का कोई कर्मचारी पदत्याग कर सकेगा यदि :

- (i) वह स्थायी कर्मचारी है तो अपने नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित में केवल तीन मास की सूचना देने के पश्चात् या उसके स्थान पर तीन मास के वेतन संदत्त द्वारा ; और
- (ii) वह स्थायी कर्मचारी नहीं है तो अने नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित में केवल एक मास की सूचना देने के पश्चात् या उसके स्थान पर एक मास के वेतन संदत्त द्वारा ;

परंतु ऐसा पदत्याग केवल उस तारीख को जिसको त्यागपत्र, नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया है, प्रभावी होगा ।

31. सेवानिवृत्ति

(1) कोई कर्मचारी अर्हक सेवा के बीस वर्ष पूरे करने के पश्चात् किसी भी समय वह नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित में तीन मास से अन्यून की सूचना देकर समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए अधिकथित निर्दण्डों और शर्तों के अनुसार सेवा से सेवानिवृत्त हो सकेगा ।

(2) नियुक्ति प्राधिकारी को, केन्द्रीय सिविल सेवा (सेवानिवृत्ति) नियम, 1964 के उपबंध के अनुसार समयपूर्व सेवानिवृत्ति के रूप में अधिवर्षिता से पूर्व, कर्मचारी को सेवानिवृत्त करने का अधिकारी होगा ।

(3) कोई कर्मचारी, निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए किसी ऐसी शारीरिक या मानसिक शैथिल्यता के कारण जो स्थायी रूप से उराको सेवा से असमर्थ करती है, सेवा से सेवानिवृत्त हो सकेगा, अर्थात् :-

(i) कर्मचारी, अपना आवेदन रजिस्ट्रार को उचित माध्यम और प्रक्रिया से प्रस्तुत करेगा और एक चिकित्सीय प्रमाणपत्र, ऐसे चिकित्सा प्राधिकारी से जो अध्यादेशों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए, प्रस्तुत करेगा ;

(ii) यदि चिकित्सा प्राधिकारी किसी निम्नतर पद के लिए आरोग्य प्रमाणपत्र प्रदान करता है तो कर्मचारी यदि इच्छुक है तो केवल ऐसे पद पर जो उपलब्ध है नियुक्त किया जा सकेगा ; और

(iii) स्वास्थ्य रिपोर्ट, सेवानिवृत्त की तारीख से पहले या सम्पाती होनी चाहिए ।

32. अधिदाय

संस्थान के स्थायी कर्मचारी, केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को यथा अनुज्ञेय विभिन्न प्रयोजनों के लिए अधिदाय निकालने की सुविधा रखेंगे ।

33. प्रतिनियुक्ति

प्रतिनियुक्ति, लोकहित में (अस्थायी स्थानांतरण) नियुक्ति के लिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान से बाहर अन्य राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, विश्वविद्यालयों या स्वायत्तशासी निकायों में जिनमें सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम भी सम्मिलित हैं और भर्ती नियमों में विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए अनुज्ञेय हैं।

34. कर्मचारियों के लिए निवास स्थान

(1) संस्थान के प्रत्येक कर्मचारी को केवल निवासीय उपयोग के लिए संस्थान के परिसर के भीतर एक असुसज्जित घर, यदि उपलब्ध होगा तो, आबंटित किया जा सकेगा जिसमें उससे, ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो संस्थान के गृह आबंटन नियमों द्वारा अधिकथित की जाएं, निवास करने की अपेक्षा जाएगी।

(2) संस्थान के ऐसे कर्मचारी से, जिसको निवासीय उपयोग के लिए घर आबंटित किया गया है, समय-समय पर बोर्ड द्वारा यथा नियत दर पर अनुज्ञप्ति फीस प्रभारित की जाएगी।

(3) अनुज्ञप्ति फीस के अतिरिक्त, जल, विद्युत और दी गई किसी अन्य सेवा के प्रभार, किसी कर्मचारी से दारुस्तविक आधार पर या ऐसी दरों पर जो समय-समय पर बोर्ड द्वारा अवधारित की जाएं, वसूल की जाएंगे।

(4) बोर्ड, यदि संस्थान के हित में ऐसा करना आवश्यक समझता है तो किसी प्रवर्ग के कर्मचारी को कोई अनुज्ञप्ति फीस उद्गृहीत किए बिना या रियायती दरों पर ऐसी फीस उद्गृहीत करते हुए सुसज्जित या असुसज्जित वास सुविधा आबंटित कर सकेगा।

35. छुट्टी और प्रावकाश नियम

संस्थान के सभी कर्मचारियों के लिए छुट्टी केन्द्रीय सिविल सेवा (छुट्टी) नियम, 1972 द्वारा शासित होंगी।

36. छात्रवृत्तियां, अध्येतावृत्तियां, पदक और पुरस्कार

बोर्ड, सिनेट की सिफारिश पर ऐसी छात्रवृत्तियां, अध्येतावृत्तियां, पदक और पुरस्कार जो आवश्यक समझी जाएं, संस्थित कर सकेगा।

37. फीस

संस्थान निम्नलिखित फीसों प्रभावित करेगा, अर्थात् :-

(i) अध्यापन और छात्रावास फीस दो भागों में समाविष्ट होगी (क) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान परिषद् द्वारा अवधारित फीस जो सभी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के लिए सामान्य

होगी और (ख) ऐसी फीसों जो संबद्ध शासक बोर्ड द्वारा अवधारित की जाएंगी जो संबद्ध संस्थान पर लागू होंगी।

(ii) अवधान राशि, छात्रों, विद्वानों और अध्येताओं को अंतिम रूप से संस्थान छोड़ने के समुपसंगत देयों की यदि कोई हो, कटौती करने के पश्चात् प्रतिदेय होगी और जहां किसी प्रतिदाय का कोई दावा अंतिम रूप से संस्थान छोड़ने के दो वर्ष के भीतर प्राप्त नहीं हुआ है वहां अवधान राशि को छात्र कल्याण निधि में जमा किया जाएगा।

(iii) ऐसी फीस रियायत आर छात्रवृत्तियां, जो समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अवधारित की जाएं, सभी राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों को लागू होंगी।

38 छात्रों के छात्रावास और छात्रनिवास

(1) प्रत्येक संस्थान एक आवासिक संस्थान होगा और सभी छात्र तथा अनुसंधानविद् इस प्रयोजन के लिए संस्थानों द्वारा निर्मित छात्रावासों और छात्र निवासों में निवास करेंगे :

परन्तु आपवादिक दशा में कारणों को लेखबद्ध करके निदेशक किसी छात्र या विद्वान को अपने माता-पिता या संरक्षक के साथ निवास करने की अनुज्ञा दे सकेगा किन्तु जहां कोई ऐसी अनुज्ञा किसी छात्र या विद्वान को दी गई है वहां यथास्थिति, ऐसा छात्र या विद्वान उसी प्रकार ऐसे सीट किराए के संदाय के लिए दायी होगा जैसा वह छात्रावास में निवास कर रहा होता तो वह सीट किराए के संदाय के लिए दायी होता।

(2) छात्रावासों और छात्र निवासों का प्रत्येक निवासी इस प्रयोजन के लिए संस्थान द्वारा अधिकथित नियमों का पालन करेगा।

(3) प्रत्येक छात्रावास या छात्र निवास के लिए एक वार्डन होगा और उतने सहायक वार्डन तथा अन्य कर्मचारी होंगे जितने समय-समय पर बोर्ड द्वारा अवधारित किए जाएं।

(4) शैक्षणिक कर्मचारिवृन्दों को वार्डन और सहायक वार्डन के रूप में निदेशक द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

(5) वार्डन और सहायक वार्डन उस प्रकार के आवास गृह के समान ही जिसके लिए वे सामान्यतया हकदार हैं, किराया मुक्त असुसज्जित आवास गृह के लिए हकदार होंगे।

(6) बोर्ड छात्रावासों और छात्रनिवासों के प्रबंध के लिए नियम अधिकथित करेगा।

39. सम्मानिक उपाधियों का प्रदान किया जाना

संस्थान, कतिपय असाधारण आर प्रतिभाशाली व्यक्तियों को उनके संबंधित क्षेत्रों में उनके प्रख्यात योगदान के लिए सम्मानिक उपाधियों को प्रदान कर सकेगा :

परन्तु सम्मानिक उपाधियों को प्रदान करने के लिए सभी प्रस्ताव सिनेट द्वारा किए जाएंगे और बोर्ड द्वारा अनुमोदित किए जाएंगे।

[सं. फा. 22-5/2006-टीएस. III(भाग)]

एन. के. सिन्हा, संयुक्त सचिव

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान

अनुसूची 'क'

[परिनियम 17(2) देखें]

“राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2007 (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) की धारा 17(1) और परिनियम 17(2) (राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, की दशा में) (जिसे इसमें इसके पश्चात् परिनियम कहा गया है) के निबंधनों में, कुलाध्यक्ष, संस्थान के निदेशक के रूप में पांच वर्ष की संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की नियुक्ति का अनुमोदन करते हैं और नियुक्त व्यक्ति ने इसमें इसके पश्चात् कथित निबंधनों और शर्तों पर ऐसी नियुक्ति को स्वीकार कर लिया है। यह विलेख नीचे उल्लिखित बातों का सक्षी है और पक्षकार निम्नलिखित करार करते हैं :—

- (1) इस सेवा करार के संबंध में यह माना जाएगा कि उसे सभी समयों पर अधिनियम के और समय-समय पर स्थायी पुष्टिकृत कर्मचारियों को लागू यथा प्रवृत्त संस्थानों को सम्मिलित करने वाले परिनियमों के उपबंधों के अधीन किया गया है।
- (2) नियुक्त व्यक्ति पदभार ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए करार के अधीन सेवा पर होगा। परंतु यदि उम्मीद उल्लिखित सेवा की अवधि की समाप्ति पर नियुक्त व्यक्ति 65 वर्ष से कम आयु का है, तो उसकी सेवा उस वर्ष के 30 जून तक जारी रहेगी, जिसमें नियुक्त व्यक्ति सेवा की उक्त अवधि को पूरा करता है या जब तक वह 65 वर्ष की आयु पूरी करता है, दोनों में से जो भी पूर्वतर हो।
- (3) नियुक्त व्यक्ति संस्थान का प्रधान शैक्षणिक और कार्यकारी अधिकारी होगा और वह उक्त अधिनियम तथा परिनियमों में उपबंधित शक्तियों और कर्तव्यों के साथ संस्थान के पूर्णकालिक निदेशक के रूप में सेवा करेगा।
- (4) नियुक्त व्यक्ति अपना पूर्ण समय संस्थान की सेवा को समर्पित करेगा और वह आचरण नियमों और उक्त अधिनियम तथा परिनियमों के अन्य उपबंधों के अधीन होगा। नियुक्त व्यक्ति द्वारा सेवा के दौरान या सेवा के संबंध में प्राप्त की गई किसी जानकारी और उसके द्वारा किए गए किसी कार्य को गुप्त और गोपनीय माना जाएगा और नियुक्त व्यक्ति को सभी प्रकार से समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 के अधीन माना जाएगा।
- (5) नियुक्त व्यक्ति अपनी सेवा की अवधि के दौरान, सिवाय निलंबन की किसी अवधि और साथ ही बिना वेतन की छुट्टी की किसी अवधि के, भारतीय आयकर के अधीन रहते हुए रुपए के वेतनमान में रु. के आरंभिक वेतन का हकदार होगा, परंतु यदि किसी भी समय नियुक्त व्यक्ति भारत से बाहर प्रतिनियुक्त व्यक्ति पर जाता है तो उसकी प्रतिनियुक्त व्यक्ति की अवधि के दौरान उसका वेतन और भत्ते वे होंगे, जो शासक बोर्ड द्वारा विनिश्चित किए जाएं। इसके अतिरिक्त, नियुक्त व्यक्ति महंगाई भत्ता, नगर प्रतिकारात्मक भत्ता आदि जैसे भत्तों का आहरण करेगा, जो संस्थान के नियमों के अनुसार समय-समय पर अनुज्ञेय हों।
- (6) इस विलेख के अधीन अपनी सेवा के दौरान नियुक्त व्यक्ति परिनियमों में किए गए उपबंधों के अनुरार और इन उपबंधों में ऐसे उपांतरणों के, जिन्हें समय-समय पर किया जाए, अधीन संस्थान की अभिदायी भविष्य निधि - सह - उपदान में अभिदाय करेगा और साथ ही वह परिनियमों के अनुसार स्थायी पुष्टिकृत कर्मचारियों को यथा लागू संस्थान के अभिदाय का भी हकदार होगा। नियुक्त व्यक्ति के किसी अन्य राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान का नियोजक होने और उसके द्वारा अभिदायी भविष्य निधि - सह - उपदान स्कीम या साधारण भविष्य निधि - सह - पेंशन - सह - उपदान स्कीम का फायदा लिए जाने की दशा में, वह परिनियमों के अधीन यथा अनुज्ञेय इस एकत्रण के स्थानांतरण के साथ संस्थान की तत्समान स्कीम का अभिदायी बनेगा। उस दशा में, जहां नियुक्त व्यक्ति संस्थान का कर्मचारी है तो वह अभिदायी भविष्य निधि - सह - उपदान स्कीम या साधारण भविष्य निधि - सह - पेंशन - सह - उपदान स्कीम द्वारा उसी रूप में शासित होता रहेगा, जिस प्रकार वह इस संविदा नियुक्ति के तुरंत पूर्व शासित होता था और वह परिनियमों के अनुसार संस्थानों के अन्य स्थायी कर्मचारियों की भांति इस संविदा के अधीन अपनी सेवा की अवधि में स्कीम के फायदों के लिए हकदार होगा।
- (7) इसमें इससे पूर्व अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जब तक कि संस्थान द्वारा अन्यथा विनिश्चय न किया

जाए, नियुक्त व्यक्ति वेतनमान के पुनरीक्षण और ऐसे सेवानिवृत्ति फायदों में, जिन्हें संस्थान द्वारा संस्थान की शाखा के सदस्यों की सेवा, ऐसी सेवा, जिससे यह तत्समय संबंध रखता है, के निबंधनों और शर्तों में इस विलेख की तारीख के अधीन रहते हुए प्रभावी किया गया हो, किन्हीं सुधारों के फायदों का, संस्थान द्वारा यथा अवधारित रूप में पूर्ण रूप से या भाग रूप में प्राप्त करने का हकदार होगा और नियुक्त व्यक्ति की सेवा के निबंधनों और शर्तों में ऐसे सुधार के संबंध में संस्थान का विनिश्चय इस प्रकार प्रवृत्त होगा जिससे कि इस विलेख के उपबंधों को उस सीमा तक उपांतरित किया जा सके।

(8) नियुक्त व्यक्ति, परिनियमों के अधीन संस्थान के स्थायी गैरआवकाश कर्मचारियों को यथा अनुज्ञेय छुट्टी के लिए हकदार होगा।

(9) नियुक्त व्यक्ति संस्थान के शासक बोर्ड द्वारा यथा स्वीकृत रूप में, संस्थान के परिसर में अनुज्ञप्ति शुल्क सहित सुसज्जित कार्यालय सह आवास का हकदार होगा।

(10) नियुक्त व्यक्ति, परिनियमों में उपबंधित किए गए अनुसार चिकित्सीय परिचर्या और उपचार के संबंध में विशेषाधिकार का पात्र होगा।

(11) नियुक्त व्यक्ति को संस्थान में पदभार ग्रहण करने के लिए, नियुक्त व्यक्ति की नियुक्ति को लोक हित में स्थानांतरण पर मानते हुए केंद्रीय सरकार के स्थानांतरण यात्रा भत्ते नियमों के अधीन केंद्रीय सरकार के समतुल्य पंक्ति के किसी अधिकारी को यथा अनुज्ञेय यात्रा भत्ते का संदाय किया जाएगा।

यदि नियुक्त व्यक्ति से संस्थान के किसी कार्य के हित में यात्रा करने की अपेक्षा की जाती है तो वह समय-समय पर प्रवृत्त संस्थान के यात्रा भत्ते नियमों में उपबंधित यात्रा भत्ते और मान का हकदार होगा। इसी प्रकार नियुक्त व्यक्ति संस्थान के नियमों के अनुसार अपने गृह नगर की यात्रा करने के लिए छुट्टी यात्रा रिशायत का हकदार होगा।

(12) नियुक्त व्यक्ति द्वारा, उसकी लागत पर उसके द्वारा प्रकाशित पुस्तकों और लेखों से प्राप्त होने वाली किसी रकम को उस क्षेत्र में उसे कार्य करते रहने के लिए प्रोत्साहन के रूप में नियुक्त व्यक्ति को दे दिया जाएगा। उसे समय-समय पर बोर्ड द्वारा अधिकथित नियमों के अनुसार परामर्शी सेवा और उसके फायदों को धारित करने की अनुज्ञा भी दी जाएगी।

(13) संविदा की अवधि के दौरान नियुक्त व्यक्ति की सेवा को संस्थान द्वारा किसी भी समय इस संविदा के अधीन सेवा के दौरान किसी भी समय तीन कलेंडर मास की लिखित सूचना देकर बिना कोई कारण बताएं समाप्त किया जा सकेगा। परंतु संस्थान सदैव इसने उपबंधित सूचना के स्थान पर नियुक्त व्यक्ति को तीन मास की मूल वेतन की रकम के समतुल्य राशि का संदाय कर सकेगा। नियुक्त व्यक्ति संस्थान को तीन कलेंडर मास की लिखित सूचना देकर अपनी सेवा समाप्त कर सकेगा।

(14) नियुक्त व्यक्ति को उरफकी विशेषज्ञता के विभाग में आचार्य की हैसियत अनुज्ञात की जाएगी और उसे उसकी सुविधानुसार उक्त विभाग में अध्यक्ष और अनुसंधान में भाग लेने की अनुज्ञा दी जाएगी।

(15) ऐसे किसी विषय के संबंध में, जिसके लिए इस क़रार में कोई उपबंध नहीं किया गया है, नियुक्त व्यक्ति उक्त राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2007 या तत्समय प्रवृत्त उरफके किसी उपांतरण और तद्धीन बनाए गए तत्समय प्रवृत्त परिनियमों द्वारा शासित होगा।

इसके साक्षी स्वरूप ऊपर लिखित तारीख को संस्थान के शासक बोर्ड के अध्यक्ष और नियुक्त व्यक्ति ने इस पर अपने-अपने हस्ताक्षर किए हैं।

संस्थान के शासक बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा

राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए

हस्ताक्षरित और परित्त किया गया

साक्षियों के हस्ताक्षर, पते सहित, की उपस्थिति में

उक्त नियुक्त व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित और परित्त किया गया

साक्षियों के हस्ताक्षर, पते सहित की उपस्थिति में

निदेशक, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान

”

अनुसूची 'ख'

[परिनियम 18 (3) देखें]

उपनिदेशक के पद के लिए सेवा संविदा

आज तारीख एक पक्षकार के रूप में (जिसे इसमें इसके पश्चात् निम्नलिखित व्यक्ति कहा गया है) और दूसरे पक्षकार के रूप में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2007 (2007 का 28) के अधीन निर्गमित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के बीच किया गया सेवा हेतु करार :

"राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2007 (जिसे इसमें इसके पश्चात् अधिनियम कहा गया है) की धारा 18(1) और परिनियम 17(2) (राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान की दशा में) (जिसे इसमें इसके पश्चात् परिनियम कहा गया है) के निबंधनों में, कुलाध्यक्ष, संस्थान के उप-निदेशक के रूप में प्रारंभ में तीन वर्ष की अवधि के लिए, जिसे बोर्ड की सिफारिश पर एक वर्ष के लिए दो बार विस्तारित की जा सकती, संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की नियुक्ति का अनुमोदन करते हैं और नियुक्त व्यक्ति ने इसमें इसके पश्चात् कथित निबंधनों और शर्तों पर ऐसी नियुक्ति को स्वीकार कर लिया है। यह विलेख नीचे उल्लिखित बातों का साक्ष्य है और पक्षकार निम्नलिखित करार करते हैं :-

(1) इस सेवा करार के संबंध में यह माना जाएगा कि उसे सभी समयों पर अधिनियम के और समय-समय पर स्थायी पुष्टिकृत कर्मचारियों को लागू यथा प्रवृत्त संस्थानों को सम्मिलित करने वाले परिनियमों के उपबंधों के अधीन किया गया है।

(2) नियुक्त व्यक्ति तारीख (जो पदभार ग्रहण करने की तारीख है) से तीन वर्ष की अवधि के लिए, जो वर्ष दर वर्ष आधार पर दो वर्ष के लिए विस्तारणीय है, करार के अधीन सेवा पर होगा। परंतु यदि ऊपर उल्लिखित सेवा की अवधि की समाप्ति पर नियुक्त व्यक्ति 65 वर्ष से कम आयु का है, तो उसकी सेवा वर्ष के 30 जून तक जारी रहेगी, जिसमें नियुक्त व्यक्ति सेवा की उक्त अवधि को पूरा करता है या जब तक वह 65 वर्ष की आयु पूरी करता है, दोनों में से जो भी पूर्वतर हो।

(3) नियुक्त व्यक्ति अधिनियम तथा परिनियमों में उपबंधित शक्तियों और कर्तव्यों के साथ संस्थान के भूणकालिक उप-निदेशक के रूप में संस्थान की सेवा करेगा। वह अपने कर्तव्यों के निर्वहन में निदेशक को रिपोर्ट करेगा।

(4) नियुक्त व्यक्ति अपना पूर्ण समय संस्थान की सेवा को समर्पित करेगा और वह आचरण नियमों और उक्त अधिनियम तथा परिनियमों के अन्य उपबंधों के अधीन होगा। नियुक्त व्यक्ति द्वारा सेवा के दौरान या सेवा के संबंध में प्राप्त की गई किसी जानकारी और उसके द्वारा किए गए किसी कार्य को गुप्त और गोपनीय माना जाएगा और नियुक्त व्यक्ति को सभी प्रकार से समय-समय पर यथा संगोषित भारतीय शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 के अधीन माना जाएगा।

(5) नियुक्त व्यक्ति अपनी सेवा की अवधि के दौरान, सिवाय निलंबन की किसी अवधि और साथ ही बिना वेतन की छुट्टी की किसी अवधि के, भारतीय आयकर के अधीन रहते हुए रुपये के वेतनमान में रु. के आरंभिक वेतन का हकदार होगा परंतु यदि किसी भी समय नियुक्त व्यक्ति भारत से बाहर प्रतिनियुक्त व्यक्ति पर जाता है तो उसकी प्रतिनियुक्त व्यक्ति की अवधि के दौरान उसका वेतन और भत्ते वे होंगे, जो शासक बोर्ड द्वारा विनिश्चित किए जाएं। इसके अतिरिक्त, नियुक्त व्यक्ति महंगाई भत्ता, नगर प्रतिकारात्मक भत्ता आदि जैसे भत्तों का आहरण करेगा, जो संस्थान के नियमों के अनुसार समय-समय पर अनुज्ञेय हों।

(6) इस विलेख के अधीन अपनी सेवा के दौरान नियुक्त व्यक्ति परिनियमों में किए गए उपबंधों के अनुसार और इन उपबंधों में ऐसे उपांतरणों, जिन्हें समय-समय पर किया जाए, अधीन संस्थान की अभिदायी भविष्य निधि - सह - उपदान में अभिलेख करेगा और साथ ही वह परिनियमों के अनुसार स्थायी पुष्टिकृत कर्मचारियों को यथा लागू संस्थान के अनिदाय का भी हकदार होगा। नियुक्त व्यक्ति के किसी अन्य राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान का नियुक्त होने और उसके द्वारा अभिदायी भविष्य निधि - सह - उपदान स्कीम या साधारण भविष्य निधि - सह - पेशन - सह - उपदान स्कीम का फायदा लिए जाने की दशा में, वह परिनियमों के अधीन यथा अनुज्ञेय इस एकत्रित के स्थानांतरण के साथ संस्थान की तत्समान स्कीम का अभिदायी बनेगा। उस दशा में, जहां नियुक्त व्यक्ति संस्थान का कर्मचारी है तो वह अभिदायी भविष्य निधि - सह - उपदान स्कीम या साधारण भविष्य निधि - सह - पेशन - सह

- उपदान स्कीम द्वारा उसी रूप में शासित होता रहेगा, जिस प्रकार वह इस संविदा नियुक्ति के तुरंत पूर्व शासित होता था और वह परिनियमों के अनुसार संस्थानों के अन्य स्थायी कर्मचारियों की भांति इस संविदा के अधीन अपनी सेवा की अवधि में स्कीम के फायदों के लिए हकदार होगा।

(7) इसमें इससे पूर्व अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जब तक कि संस्थान द्वारा अन्यथा विनिश्चय न किया जाए, नियुक्त व्यक्ति वेतनमान के पुनरीक्षण और ऐसे रोवानिवृत्ति फायदों में, जिन्हें संस्थान द्वारा संस्थान की शाखा के सदस्यों की सेवा, ऐसी सेवा, जिससे वह तत्समय संबध रखता है, के निबंधनों और शर्तों में इस दिल्ख की तारीख के अधीन रहते हुए प्रभावी किया गया हो, किन्हीं सुधारों के फायदों का, संस्थान द्वारा यथा अवधारित रूप में पूर्ण रूप से या भाग रूप में प्राप्त करने का हकदार होगा और नियुक्त व्यक्ति की सेवा के निबंधनों और शर्तों में ऐसे सुधार के संबंध में संस्थान का विनिश्चय इस प्रकार प्रवृत्त होगा जितना कि इस दिल्ख के उपबंधों को उस सीमा तक उपांतरित किया जा सके।

(8) नियुक्त व्यक्ति, परिनियमों के अधीन संस्थान के स्थायी प्रावकाश कर्मचारियों को यथा अनुज्ञेय छुट्टी के लिए हकदार होगा।

(9) नियुक्त व्यक्ति संस्थान के शासक बोर्ड द्वारा यथा स्वीकृत रूप में संस्थान के परिसर में अनुज्ञप्ति शुल्क सहित सुसज्जित वास सुविधा का हकदार होगा।

(10) नियुक्त व्यक्ति, परिनियमों में उपबंधित किए गए अनुसार धिकित्तीय परिचर्या और उपचार के संबंध में विशेषाधिकार का पात्र होगा।

(11) नियुक्त व्यक्ति को संस्थान में पदभार ग्रहण करने के लिए, नियुक्त व्यक्ति की नियुक्ति को लोक हित में स्थानांतरण पर नियुक्ति मानते हुए केंद्रीय सरकार के स्थानांतरण यात्रा भत्ते नियमों के अधीन केंद्रीय सरकार की समतुल्य पक्ति के किसी अधिकारी को यथा अनुज्ञेय यात्रा भत्ते का संदाय किया जाएगा।

यदि नियुक्त व्यक्ति से संस्थान के किसी कार्य के हित में यात्रा करने की अपेक्षा की जाती है तो वह समय-समय पर प्रवृत्त संस्थान के यात्रा भत्ते नियमों में उपबंधित यात्रा भत्ते और मान का हकदार होगा। इसी प्रकार नियुक्त व्यक्ति संस्थान के नियमों के अनुसार अपने गृह नगर की यात्रा करने के लिए छुट्टी यात्रा रिथायत का हकदार होगा।

(12) नियुक्त व्यक्ति द्वारा, उसकी लागत पर उसके द्वारा प्रकाशित पुस्तकों और लेखों से प्राप्त होने वाली किसी रकम को उस क्षेत्र में उसे कार्य करते रहने के लिए प्रोत्साहन के रूप में नियुक्त व्यक्ति को दे दिया जाएगा। उसे समय-समय पर बोर्ड द्वारा अधिकथित नियमों के अनुसार परामर्शी सेवा और उसके फायदों को धारित करने की अनुज्ञा भी दी जाएगी।

(13) संविदा की अवधि के दौरान नियुक्त व्यक्ति की सेवा को संस्थान द्वारा किसी भी समय, इस संविदा के अधीन सेवा के दौरान किसी भी समय तीन कलेंडर मास की लिखित सूचना देकर, बिना कोई कारण बताए समाप्त किया जा सकेगा। परंतु संस्थान सदैव इसमें उपबंधित सूचना के स्थान पर नियुक्त व्यक्ति को तीन मास की मूल वेतन की रकम के समतुल्य राशि का संदाय कर सकेगा। नियुक्त व्यक्ति संस्थान को तीन कलेंडर मास की लिखित सूचना देकर अपनी सेवा समाप्त कर सकेगा।

(14) नियुक्त व्यक्ति को उसकी सुविधानुसार विभाग में अध्यापन और अनुसंधान में भाग लेने के लिए उसकी विशेषज्ञता के विभाग में आचार्य की हैसियत अनुज्ञा की जाएगी।

(15) ऐसे किसी विषय के संबंध में, जिसके लिए इस करार में कोई उपबंध नहीं किया गया है, नियुक्त व्यक्ति उक्त राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम, 2007 या तत्समय प्रवृत्त उसके किसी उपांतरण और तदधीन बनाए गए तत्समय प्रवृत्त परिनियमों द्वारा शासित होगा।

इसके साक्षी स्वस्य उमर लिखित तारीख को संस्थान के शासक बोर्ड के अध्यक्ष और नियुक्त व्यक्ति ने इस पर अपने-अपने हस्ताक्षर किए हैं।

संस्थान के शासक बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के लिए
हस्ताक्षरित और परित्त किया गया

साक्षियों के हस्ताक्षर, पते सहित, की उपस्थिति में
 उक्त नियुक्त व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित और परित्त किया गया
 साक्षियों के हस्ताक्षर, पते सहित की उपस्थिति में,
 उप निदेशक, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान"

अनुसूची 'ग'
 [परिनियम 19(5) देखिए]
संकायाध्यक्षता

संस्थान में छह से अधिक संकायाध्यक्ष पद नहीं हो सकेंगे। शासक बोर्ड के अनुमोदन से
 राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में निम्नलिखित संकायाध्यक्ष पद हो सकेंगे :

- संकायाध्यक्ष शैक्षणिक
- संकायाध्यक्ष योजना और विकास
- संकायाध्यक्ष छात्र कल्याण
- संकायाध्यक्ष संकाय कल्याण
- संकायाध्यक्ष (अनुसंधान और परामर्श)

संकायाध्यक्ष पद कार्यात्मक पद है न कि प्रशासनिक पद और उसका इसकी उचित भावना
 से निर्वहन किया जाए। आचार्यों/सह आचार्यों में से ही संकायाध्यक्ष को निदेशक द्वारा नामनिर्देशित
 किया जाना चाहिए किन्तु विभागाध्यक्ष द्वारा नहीं होना चाहिए।

संकायाध्यक्ष पद का कार्यकाल साधारणतया दो वर्ष का होगा जिसे एक और वर्ष के लिए
 बढ़ाया जा सकेगा। परन्तु निदेशक, अध्यक्ष शासक बोर्ड के अनुमोदन से ऐसी अवधि से पूर्व किसी
 या सभी संकायाध्यक्षों को कार्यमुक्त कर सकेगा।

संकायाध्यक्षों के कर्तव्य तथा उत्तरदायित्व

संकायाध्यक्षों को निम्नलिखित कर्तव्य और उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं।

1. संकायाध्यक्ष (शैक्षणिक)

वह निदेशक को निम्नलिखित पर
 देगा/देगी :

- (क) छात्रों के प्रवेश तथा उनके नामांकन ;
- (ख) शैक्षणिक कैलेंडर, समय सारणियों, पाठ्यक्रम कार्य तथा परीक्षाओं के लिए छात्रों का
 रजिस्ट्रीकरण, कक्षा कक्ष व्यवस्था तथा कक्षा कार्य के उचित संचालन के लिए सभी अन्य अपेक्षाओं
 को अन्तिम रूप देना ;
- (ग) कक्षा परीक्षाओं को संचालित करना और सत्र के मूल्यांकनों को अन्तिम रूप देने को समन्वित
 करना तथा समय पर परिणामों की घोषणा सुनिश्चित करने के लिए ;

- (घ) सभी प्रवर्गों के छात्रों के अद्यतन शैक्षणिक अभिलेखों के रखरखाव का पर्यवेक्षण ;
- (ङ) पाठ्य विवरण का प्रकाशन और वितरण ;
- (च) सभी संस्थान स्तरीय शैक्षणिक निकायों की बैठकें आयोजित करना ;
- (छ) छात्रों के लिए सभी शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों, पदकों तथा पुरस्कारों को प्रदान करने के लिए व्यवस्था करना ;
- (ज) उन परीक्षाओं को संचालित करने की व्यवस्था करना जिन्हें संस्थान के विनियमों में अनुबंधित किए गए अनुसार संस्थान द्वारा संचालित किया जाना है ;
- (झ) अनुसंधान के संचालन के लिए नीतियां बनाना और शासक बोर्ड/सिनेट के विनिश्चय को कार्यान्वित करके उपयुक्त मानक बनाए रखने के लिए उपाय करना ;
- (ञ) स्नातकोत्तर, पीएचडी और अन्य अनुसंधान कार्यक्रमों के, जिनमें शोध-प्रबंध की परीक्षा भी सम्मिलित है, संचालन में सिनेट की नीति को निष्पादित करना ;
- (ट) दीक्षात समारोह के संचालन को समन्वित करना ;
- (ठ) शिक्षण कार्यक्रमों में परिवर्तन करने के लिए सभी प्रस्तावों पर बीओएसी द्वारा विचार किया जाएगा जिसके लिए संकायाध्यक्ष (शैक्षणिक) अर्थात् अध्यक्ष और यदि अनुमोदित किया जाता है, उन्हें औपचारिक अनुमोदन के लिए सिनेट को भेजा जाएगा ।
- (ड) प्रायोजित प्रारंभिक संकाय प्रवेश कार्यक्रमों तथा अभ्यर्थियों के क्वालिटी सुधार कार्यक्रम को स्वीकार करना ;
- (ढ) उच्च शैक्षणिक मानकों के लिए प्रयास करने के लिए समय-समय पर उपयुक्त कदम उठाने हेतु निदेशक को सुझाव देना.

2. संकायाध्यक्ष (योजना और विकास)

वह निदेशक को निम्नलिखित में सलाह देगा/देगी :-

- (क) संस्थागत क्रियाकलापों के विस्तार तथा विविधता की योजना और सिविल, वैद्युत, संकर्म, स्वच्छता, नेटवर्क प्रणाली, आदि से संबंधित योजना तथा प्राक्कलनों के प्रस्तुत किए जाने की सीमा तक सभी विकासात्मक प्रस्तावों को तैयार करना ।
- (ख) मानव संसाधन विकास मंत्रालय और अन्य अभिकरणों को भेजे जाने वाली आवधिक रूप से अपेक्षित विभिन्न रिपोर्टों के संकलन के लिए अपेक्षित योजना एवं परियोजना संबंधी सभी आवश्यक सांख्यिकीय आंकड़ों का रखरखाव ।
- (ग) वास्तविक लक्ष्यों को मानिटर करने तथा परियोजनाओं और परामर्श की बाबत निधियों का उपयोग तथा प्रगति रिपोर्टों को प्रस्तुत करने के लिए सुसंगत कागज पत्रों को तैयार करना ;

- (घ) नए पाठ्यक्रमों के प्रस्ताव तैयार करने और इस संबंध में इस प्रयोजन के लिए संकाय सदस्यों और बाह्य विशेषज्ञों की बैठकें आयोजित करना ;
- (ङ) संस्थान की परामर्श, परीक्षण एवं प्रायोजित अनुसंधान के क्रियाकलापों का विस्तार करने और उन्हें मानिटर करने का प्रयास करने तथा प्रगति रिपोर्टों की प्रस्तुति सुनिश्चित करना ;
- (च) अनौपचारिक तथा सतत शिक्षा और विस्तार कार्यक्रमों को तैयार करने एवं उनके संचालन को समन्वित करना ;
- (छ) परियोजनाओं तथा परीक्षण एवं परामर्श संबंधी उपस्करों के उपापन के लिए बैठक का कार्यवृत्त और उसके आयोजन की व्यवस्था करना ;
- (ज) रजिस्ट्रार को निर्माण और संकर्म समिति के लिए बजट तथा नए प्राक्कलनों एवं योजनाओं के लिए आवश्यक आंकड़े उपलब्ध कराना ।

3. संकायाध्यक्ष (छात्र कल्याण)

- (क) वह छात्र परामर्श आयोजन करने में निदेशक को सलाह देगा/देगी ;
- (ख) वह छात्र पत्रिकाओं, समाचार बुलेटिन, समाचार पत्रों आदि के प्रकाशन के लिए जिम्मेदार होगा/होगी ;
- (ग) वह छात्र, अनुशासन तथा कल्याण संबंधी विषयों में निदेशक को सलाह देगा/देगी ;
- (घ) वह छात्र संघ/संगम/परिषद संबंधी विषयों में निदेशक की सहायता करेगा/करेगी ;
- (ङ) वह एनसीसी, एनएसएस, खेल, तरणताल, क्रीडा, सांस्कृतिक और छात्रों की पाठ्यक्रम के साथ तथा पाठ्यक्रयातीत गतिविधियों को समन्वित करेगा/करेगी ;
- (च) वह पूर्व छात्रों का अभिलेख रखेगा/रखेगी और उनके साथ पत्राचार करेगा/करेगी ;
- (छ) वह अनुशासनहीनता में संलिप्त छात्रों की जांच कराएगा/कराएगी ;
- (ज) वह छात्रों के माता पिता/संरक्षकों से उनकी प्रगति एवं व्यक्तिगत समस्याओं/कल्याण के बारे में पत्राचार करेगा/करेगी ।

4. संकायाध्यक्ष कल्याण

वह निम्नलिखित से संबंधित विषयों पर निदेशक को सलाह देगा/देगी :

- (क) क्वालिटी सुधार कार्यक्रम के अधीन विभिन्न संस्थाओं को, उन्हें लागू नियमों के अधीन, संकाय की प्रतिनियुक्ति ;
- (ख) वह विभिन्न सम्मेलनों, सेमिनारों, अल्पावधि पाठ्यक्रमों, प्रशिक्षण कार्यक्रमों, विदेशी शिक्षण/प्रशिक्षण समनुदेशन आदि के लिए संकाय सदस्यों की प्रतिनियुक्ति के लिए निदेशक को सलाह देगा/देगी ;
- (ग) वह संकाय सदस्यों द्वारा सम्मेलनों/सेमिनार में प्रस्तुत किए गए या प्रस्तुत किए जाने वाले कागजपत्रों की मूल्यांकन समिति की बैठकों की अध्यक्षता करेगा/करेगी ;
- (घ) वह संकाय के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने में निदेशक की सहायता करेगा/करेगी ;

(इ) वह भवनों, सड़कों, जलप्रदाय, स्वच्छता, घास के मैदानों तथा उद्यानों, संसूचना नेटवर्क, वाटर कूलर्स, वातानुकूलकों, टेलीफोनों आदि के संनिर्माण और रखरखाव के पर्यवेक्षण में निदेशक की सहायता करेगा/करेगी ;

(च) वह विभिन्न विभागों और संकाय सदस्यों के बीच अनुशासन तथा कार्य लोकाचार को बनाए रखने में निदेशक की सहायता करेगा/करेगी ;

(छ) वह संस्थान में उच्च शैक्षिक मानकों को बनाए रखने तथा शैक्षिक उत्कृष्टता को प्राप्त करने में निदेशक की सहायता करेगा/करेगी ;

(ज) संकाय अनुशासन, समग्रता और प्रतिबद्धता का पर्यवेक्षण ।

5. संकायाध्यक्ष (अनुसंधान और परामर्श)

वह निम्नलिखित से संबंधित विषयों में निदेशक को सलाह देगा/देगी :

(क) औद्योगिक रूप से प्रायोजित अनुसंधान और परामर्श के लिए नियम बनाना ;

(ख) संकाय विशेषज्ञता के संबंध में झूठा बेस सृजित करना और उसे बनाए रखना ;

(ग) अनुसंधान/परामर्श कार्य, परियोजना कर्मचारिवृद्ध की भर्ती करने के लिए आवश्यक उपस्कर उपाप्त करने में उसके कार्यालय संकाय के माध्यम से सुकर बनाना ;

(घ) छात्रों के लिए पाठ्यक्रम के साथ की गतिविधियों (तकनीकी उत्सव, प्रश्नोत्तरी आदि) को समन्वित करना ;

(ङ) ऐसे अभिकरणों जैसे विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी), भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र (बीएआरसी), नारमकीय विज्ञान अनुसंधान बोर्ड (बीआरएनएस), भारतीय अन्तर्िक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो), रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (डीआरडीओ), वैमानिकी अनुसंधान और विकास बोर्ड (एआरएंडडीबी), सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, आदि को वित्त पोषण के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करना ।

अनुसूची 'घ'

[परिनियम 24(7) देखिए]

अन्यत्र नियोजन के लिए आवेदनों का अग्रेषण

शासक बोर्ड द्वारा अनुमोदित संनियमों के अनुसार ही नियोजन के लिए आवेदन अग्रेषित किए जाएंगे :

सभी कर्मचारियों से उनकी सेवा के निबंधनों के अधीन अपेक्षा की जाती है कि वे सरकारी/प्राइवेट या अन्यत्र में अन्य नौकरियों के लिए आवेदन करने के लिए निम्नलिखित संनियमों का पालन करें :-

1. साधारण सिद्धान्त :

(i) अच्छी प्रोन्नति संभावनाओं वाला स्थायी कर्मचारी अपने पद के कर्तव्यों के प्रति पूरे मन से अपनी शक्ति लगाने के लिए सामान्य बाध्यताधीन है । यह अनुचित नहीं होगा यदि अन्य नियोजन के लिए उसका आवेदन रोक लिया जाता है और अग्रेषित नहीं किया जाता है ।

(ii) किसी अस्थायी कर्मचारी का आवेदन तब तक न रोका जाना चाहिए जब तक ऐसे अस्थायी कर्मचारी के लिए अभिलिखित तथा उसे संसूचित किए जाने वाले बाध्यकारी आधार न हों।

किसी ऐसे अस्थायी कर्मचारी से प्राप्त आवेदन पर, जिसकी सम्यक अनुक्रम में स्थायी होने की अच्छी संभावनाएं हों, गुणागुण के आधार पर कार्रवाई की जानी चाहिए।

(iii) ऐसे कर्मचारियों को, जिन्हें सरकारी/संस्थान के खर्चे पर कोई तकनीकी प्रशिक्षण दिया गया है, कम से कम बन्धपत्र अवधि तक संस्थान में सेवा करते रहना चाहिए और ऐसे किसी मामले में आवेदन रोकना औचित्यपूर्ण है। बोर्ड ऐसे मामलों में नीति का विनिश्चय कर सकेगा।

(iv) जहां किसी कर्मचारी को हस्तगत महत्वपूर्ण कार्य को गम्भीर नुकसान पहुंचाए बिना कार्यमुक्त नहीं किया जा सकता है, वहां उसके आवेदन को रोका जा सकता है।

2. संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित पदों के लिए आवेदन

संस्थान के कर्मचारी संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित पदों के लिए सीधे आवेदन पत्र कर सकते हैं परन्तु उन्हें इसकी सूचना विभागाध्यक्ष और निदेशक को देनी चाहिए। तत्पश्चात् उसे ऐसी नियुक्ति के लिए, किन्तु साक्षात्कार के लिए उपस्थित होने से पूर्व, अनुज्ञा प्राप्त करनी चाहिए।

3. अन्य राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थानों/केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और अन्य तुल्य उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में पद :

(क) स्थायी कर्मचारी से प्राप्त आवेदन पत्र के साथ यह वचनबंध संलग्न होना चाहिए कि वह या तो संबंधित राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में पुनः पद ग्रहण करेगा या तीन वर्ष के पश्चात् राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में उसके द्वारा धारित पद से त्यागपत्र देगा।

(ख) अस्थायी कर्मचारी को उसके चयन और नई नियुक्ति की स्वीकृति की दशा में त्यागपत्र देने का एक वचनबंध देना चाहिए।

4. खुले विज्ञापनों के संबंध में विदेशी समनुदेशन :

(क) कर्मचारी, अध्यक्ष, शासक बोर्ड की पूर्व अनुज्ञा से आवेदन कर सकता है जिसकी पुष्टि शासक बोर्ड द्वारा की जाए।

(ख) यदि समय का अभाव है, तो एक अग्रिम प्रति संबद्ध अभिकरण को, उचित माध्यम से अनुमोदन के लिए अध्यक्ष, शासक बोर्ड को प्रति देते हुए, भेजी जा सकती है।

(ग) ऐसे कर्मचारी पर संबद्ध राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के शासकीय नामनिर्देशिती के रूप में विचार नहीं किया जाएगा।

वे पद जिन्हें विज्ञापित या परिचालित नहीं किया गया है :

आवेदन अग्रेषित नहीं किया जाएगा।

रोजगार कार्यालय में रजिस्ट्रीकरण

अस्थायी कर्मचारी अनुमति लेकर नाम रजिस्ट्रार करा सकते हैं किन्तु उन्हें चयन हो जाने पर त्यागपत्र देना चाहिए।

स्थायी कर्मचारी अपना नाम निम्नलिखित दशाओं में रजिस्टर करा सकता है :

(क) केवल सरकारी/पब्लिक सेक्टर उपक्रम/स्वायत्त निकाय के अधीन उच्चतर पद के लिए हो,

(ख) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने पर, और

(ग) एक वचनबंध देकर कि वह नए पद को ग्रहण करने के तीन वर्ष पूरे हो जाने पर या तो संबद्ध राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में पुनः पद ग्रहण करेगा या उससे त्यागपत्र देगा।

(घ) जब कोई कर्मचारी अपने मूल कार्यालय में पुनः पद ग्रहण करता है तो उसे रोजगार कार्यालय में पुनः अपना नाम रजिस्टर कराने के लिए तीन वर्ष की अवधि तक “अनापत्ति प्रमाण पत्र” प्रदान नहीं किया जाएगा।

ऐसा कर्मचारी जो निलंबनाधीन है या जिसे आरोप पत्र जारी किया गया है :

कोई आवेदन अग्रेषित नहीं किया जाना चाहिए यदि कर्मचारी निलंबनाधीन रहता है या उसे आरोप पत्र जारी किया गया है/ आरोप पत्र न्यायालय में फाइल किया गया है या उसके अभियोजन के लिए मंजूरी दे दी गई है।

ऐसे कर्मचारी जिनका आचरण अन्वेषणाधीन है :

ऐसे किसी कर्मचारी का आवेदन, जिसका आचरण अन्वेषणाधीन है, अभिकथनों की प्रकृति पर संक्षिप्त टिप्पणियों सहित और इस टिप्पण के साथ कि उसे तब तक मुक्त नहीं किया जाएगा यदि कर्मचारी निलंबित किया गया है या उसे आरोप पत्र जारी किया गया है/ आरोप पत्र न्यायालय में फाइल लिया गया है या उसके अभियोजन के लिए मंजूरी उसके चयन से पूर्व प्रदान की गई है, अग्रेषित किया जा सकेगा।

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT**(Department of Higher Education)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 23rd April, 2009

G.S.R. 280(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 26 of the National Institutes of Technology Act, 2007, (29 of 2007) the Central Government, with the prior approval of the Visitor, hereby frames the following First Statutes for all National Institutes of Technology, namely:-

1. SHORT TITLE, EXTENT AND COMMENCEMENT

- (1) These Statutes may be called The First Statutes of the National Institutes of Technology.
- (2) They shall apply to all National Institutes of Technology.
- (3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. DEFINITIONS

- (1) In these First Statutes, unless the context otherwise requires, -

- (a) "Act" means the National Institutes of Technology Act, 2007;
- (b) "Authorities", "Officers" and "Faculty Members" in relation to an Institute mean, respectively, the authorities, officers and faculty members of the Institute;
- (c) "Building and Works Committee" means the Building and Works Committee of the Institute constituted under First Statute No 12.
- (d) "Centre" in relation to an Institute means an academic unit of the Institute engaged in academic activities (like teaching, research, etc.) generally of an inter-disciplinary nature;
- (e) "Department" in relation to an Institute means an academic unit of the Institute engaged in academic activities (like teaching, research, etc) generally relating to a particular discipline or area;
- (f) "Finance Committee" means the Finance Committee of the Institute constituted under First Statute No. 10;
- (g) "Head of a Department or Centre", by whatever name called, means the person appointed to head the Department or Centre, as the case may be, under First Statute No. 20;
- (h) "Programme" means an academic programme of the Institute;
- (i) "rules" means the rules made under Chapter-III of the Act;
- (j) "Schedule" means Schedule annexed to these Statutes.

- (2) Words and expressions used herein and not defined but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. AUTHORITIES

The following shall be the authorities of the Institute, namely:-

- (i) the Board of Governors as constituted under Section 11 of the Act;
- (ii) the Senate as constituted under section 14 of the Act;
- (iii) the Finance Committee, as constituted under First Statute 10; and
- (iv) the Building and Works Committee as constituted under First Statute No 12.

4. BOARD OF GOVERNORS AND MEETINGS THEREOF

- (1) The bodies entitled to nominate or elect representatives of the Board shall be invited by the Registrar to do so within a period not exceeding eight weeks from the date on which such invitations are issued by him.
- (2) Casual vacancies on the Board shall be filled up by following the procedure specified under sub-statute (1).
- (3) The Board shall ordinarily meet four times during a calendar year.
- (4) Meetings of the Board shall be convened by the Chairperson either on his own motion or at the request of the Director or on a requisition signed by not less than four members of the Board.
- (5) Six members shall form a quorum for a meeting of the Board :
provided that if a meeting is adjourned for want of quorum, it shall be held on the same day in the next week at the same time and place or on such other day, time and place, as the Chairperson may determine, and if at such a meeting, a quorum is not present within half-an-hour from the scheduled time for holding a meeting, the members present shall form the quorum.
- (6) All questions considered at the meetings of the Board shall be decided by a majority of the votes of the members present including the Chairperson and if the votes be equally divided, the Chairperson shall have a casting vote.
- (7) The Chairperson, if present, shall preside over every meeting of the Board :
Provided that in the absence of the Chairperson, the members present shall elect a member from amongst themselves to preside at the meeting.
- (8) A written notice of every meeting shall be sent by the Registrar to every member at least fifteen days before the date of the meeting mentioning therein the place, date and time of the meeting :
Provided that the Chairperson may call a special meeting of the Board at short notice to consider urgent issues.
- (9) The notice may be delivered either by hand or sent by registered post or E mail or Fax, at the address of each member as recorded in the office of the Board and if so sent, shall be deemed to be duly delivered at the time at which notice would be delivered in the ordinary course of post.
- (10) Agenda shall be circulated by the Registrar to all members at least ten days before the meeting.
- (11) Notices of motions for inclusion of any item on the agenda must reach the Registrar at least one week before the meeting :
Provided that the Chairperson may, permit inclusion of any item for which due notice has not been received.
- (12) The ruling of the Chairperson with regard to all questions of procedure shall be final.
- (13) The minutes of the proceedings of a meeting of the Board shall be drawn up by the

Registrar and circulated to all members of the Board present in India and the same along with any amendment suggested shall be placed before the Board in its next meeting for confirmation and after the minutes are confirmed and signed by the Chairperson, they shall be recorded in the minute book.

- (14) The minute book shall be kept open for inspection of the members of the Board and the Council at all times during office hours.
- (15) If a member of the Board fails to attend three consecutive meetings without leave of absence from the Board, he shall cease to be a member of the Board.
- (16) No matter concerned with finance shall be placed before the Board unless the same has been considered by the Finance Committee.
- (17) No matter which should be first considered by the Building and Works Committee shall be placed before the Board unless the same has been considered by the Building and works Committee after obtaining the administrative approval of the Board.

5. POWERS OF THE BOARD

In addition to the powers provided under sub-section (1) of section 13 of the Act, the Board shall be empowered :-

- (i) to abolish, re-designate or change the nomenclature of any post in the institute;
- (ii) to make, modify or cancel the statutes with the approval of the visitor from time to time :

Provided that the new Statute, additions or amendments of existing Statutes shall be applicable only after the assent of the visitor; and

- (iii) to make, modify and cancel all or any ordinances on recommendation of the Finance Committee or Senate of the Institute subject to the condition that making, modification and cancellation shall not be in contravention of the Act and (or) Statutes.

6. AUTHENTICATION OF ORDERS OF THE BOARD

All orders and decisions of the Board shall be authenticated by the signature of the Director or Registrar or any person-authorised by the Board in this behalf.

7. SENATE

- (1) The Senate shall meet as often as necessary but ordinarily not less than four times during a calendar year.
- (2) Meetings of the Senate shall be convened by the Chairman of the Senate either on his own motion or on a requisition signed by not less than one fifth of the members of the Senate.
- (3) Requisition meeting shall be a special meeting to discuss only those items of agenda for which requisition is given and shall necessarily be chaired by the Director and the requisition meeting shall be convened by the Chairman of the Senate on convenient date and time.
- (4) One third of the total number of members of the Senate shall form a quorum for a

meeting of the Senate.

- (5) The Director shall preside over every meeting of the Senate:

Provided that in absence of the Director, Deputy Director shall preside and in the absence of both the Director and the Deputy Director, the senior most professor present shall preside at the meeting.

- (6) A written notice of every meeting together with the agenda shall be circulated by the Registrar to the members of the Senate at least a week before the meeting:

Provided that the Chairman of the Senate may permit inclusion of any item for which due notice has not been given.

- (7) Notwithstanding the provisions of sub-statute (6), the Director may call an emergency meeting of the Senate at short notice to consider urgent special issues.

- (8) The ruling of the Chairman of the Senate with regard to all questions of procedure shall be final.

- (9) The minutes of the proceedings of a meeting of the Senate shall be drawn up by the Registrar in consultation with Dean Academics and circulated to all the members of senate present in India:

Provided that any such minutes shall not be circulated if the Senate considers such circulation prejudicial to the interests of the Institute or the Government of India.

- (10) The minutes, along with amendments, if any, suggested shall be placed for confirmation at the next meeting of the Senate and after the minutes are confirmed and signed by the Chairman of the Senate, they shall be recorded in a minute book which shall be kept open for inspection of the members of the Senate, the Board and the Council at all times during office hours.

8. POWERS OF THE SENATE

Subject to the provisions of the Act, the Senate shall have the power to:-

- (i) frame and revise curricula and syllabi for the courses of studies for the various Departments and Centres;
- (ii) make arrangements for the conduct of examinations; appointment of examiners, moderators, tabulators and other matters relating to the examinations;
- (iii) declare the results of the examinations or to appoint Committees or Officers to do so and to make recommendations to the Board regarding conferment or grant of degrees, diplomas and other academic distinctions or titles;
- (iv) appoint Advisory Committees or Expert Committees or both for the Departments or Centres of the institute to make recommendations on academic matters connected with the working of the Departments or Centres;
- (v) appoint Committees from amongst the members of the Senate, other teachers of the Institute and experts from outside to advise on such specific and important

- academic matters as may be referred to any such Committee by the Senate;
- (vi) consider the recommendations of the Advisory Committees attached to various Departments or Centres and that of Expert and other Committees and take such action (including the making of recommendations to the Board) as warranted by each case;
 - (vii) make periodical review of the activities of the Departments or Centres and take appropriate action (including the making of recommendations to the Board);
 - (viii) supervise the working of the Library of the Institute;
 - (ix) promote research and academic development or activity within the Institute and seek reports on such research or academic development or activity from the persons engaged therein;
 - (x) provide for the inspection of the class rooms, Laboratories, Library and the Residential Hostels;
 - (xi) plan co-curricular activities of the students of the Institute;
 - (xii) award stipends, scholarships, medals and prizes and make other awards in accordance with such conditions as may be attached to the awards;
 - (xiii) make recommendations to the Board with regard to the creation or restructuring of Departments or Programmes or Centres and the abolition of existing Departments or centres thereof;
 - (xiv) make recommendations to the Board to disseminate knowledge through distance learning mode to various parts of the State or country or abroad; and
 - (xv) invite up to two student representatives during discussion of general nature not involving policy or disciplinary matters in the Senate meetings.

9. CHAIRMAN OF THE SENATE TO EXERCISE POWERS IN EMERGENCY

If, in the opinion of the Chairman of the Senate, any emergency has arisen which requires immediate action, he may take such action as he deems necessary and shall report the same for approval to the Senate in its next meeting.

10. FINANCE COMMITTEE

- (1) There shall be a Finance Committee for each Institute consisting of the following members, namely:-

- (i) the Chairperson Board of Governors, ex-officio Chairman;
- (ii) the Director, ex-officio member;
- (iii) Joint Secretary dealing with National Institutes of Technology or his nominee and Financial Advisor (Human Resource Development) or his nominee members;
- (iv) two persons nominated by the Board from amongst its members; and
- (v) the Registrar, ex-officio, Member-Secretary.

Provided that in addition to the above, the Chairman may, in consultation with the Director, co-opt a member as and when found necessary.

- (2) The Finance Committee shall meet ordinarily four times in a year preferably before the meeting of the Board of Governors.
- (3) Three members of the Finance Committee shall form a quorum for a meeting of the Finance Committee.
- (4) The Chairman, shall preside over the meetings of the Finance Committee and in his

absence, the Director shall preside over the meetings.

- (5) The provisions in these First Statutes regarding notices of the meeting, inclusion of items in the agenda and confirmation of the minutes applicable to the meetings of the Board shall, so far as practicable may be, followed in connection with the meetings of the Finance Committee.
- (6) A copy of the minutes of every meeting of the Finance Committee shall be placed before the Board.
- (7) All financial proposals shall be placed before the Finance Committee prior to being placed before the Board for consideration and approval.

11. POWERS OF THE FINANCE COMMITTEE

The Finance Committee shall have power to:-

- (i) examine and scrutinize the annual budget of the Institute prepared by the Director and make recommendations to the Board; and
- (ii) give its views and make its recommendations on any financial question affecting the Institute to the Board either on the initiative of the Board or of the Director, or on its own motion.

12. BUILDING AND WORKS COMMITTEE

- (1) There shall be a Building and Works Committee for each of the Institute, consisting of following members, namely:-
 - (i) the Director, ex-officio Chairman;
 - (ii) one member nominated by the Central Government not below the rank of Director or Deputy Secretary;
 - (iii) one member nominated by the Board of Governors;
 - (iv) Registrar, ex-officio, Member Secretary;
 - (v) Dean, planning and development or similar position - Member; and
 - (vi) one expert each from Civil and Electrical Engineering Wing of Central or State Government or any autonomous body of repute - Member.
- (2) The Building and Works Committee shall meet as often as necessary but ordinarily not less than four times a year.
- (3) Three members shall form a quorum for a meeting of the Building and Works Committee.
- (4) The provisions in these Statutes regarding notice of meeting, inclusion of items in the agenda and confirmation of the minutes applicable to the meeting of the Board shall, as far as practicable may be followed in connection with meetings of the Building and Works Committee also.
- (5) A copy of the minutes of every meeting of the Building and Works Committee shall be placed before the Board.

13. POWERS AND FUNCTIONS OF THE BUILDING AND WORKS COMMITTEE

- (1) The Building and Works Committee shall,-
 - (i) under the directions of the Board shall carry on construction of all major works, after the necessary administrative approval and expenditure sanction from the

- Board;
- (ii) have the power to give the necessary administrative approval and expenditure sanction for minor works and works pertaining to repair and maintenance, within the approved budgetary provision of the Institute;
 - (iii) cause to prepare estimates of cost of buildings and other capital works, minor works, repairs, maintenance and the like;
 - (iv) be responsible for making technical scrutiny of the design, estimates and specifications of the material as may be considered necessary;
 - (v) be responsible for enlistment of suitable contractors and acceptance of tenders and shall have the power to give directions for departmental works where necessary;
 - (vi) have the power to settle rates not covered by tender and settle claims and disputes with contractors;
- (2) If, in the opinion of the Chairman of the Building and Works Committee, any emergency has arisen which requires immediate action to be taken, he shall take such action and report the same to the Building and Works Committee and the Board at their next meeting.
 - (3) The Building and Works Committee shall also perform such function and exercise such powers as may be entrusted by the Board, from time to time.

14. POWERS OF THE CHAIRPERSON, BOARD OF GOVERNORS

In addition to the powers provided in the Act, the Chairperson of the Board of Governors shall have the following powers, namely:-

- (i) he shall have the power to fix, on the recommendations of the Selection Committee, the initial pay of an incumbent at a stage higher than the minimum of the scale in respect of posts to which the appointments can be made by the Board under the provisions of the Act;
- (ii) he shall have the power to send members of the staff, except the Director, of the Institute for training or for a course of instruction, outside India subject to such terms and conditions as may be laid down by the Board from time to time. Incidentally, the visit abroad by the Director shall be approved by the Chairman, National Institutes of Technology Council;
- (iii) he shall execute the contract of service between the Institute and the Director or Deputy Director on behalf of the Central Government, but he shall not be personally liable of anything under such contract; and
- (iv) In emergent cases, the Chairperson may exercise the powers of the Board and inform the Board of the action taken by him for confirmation and ratification.

15. TRAVELLING ALLOWANCES OF MEMBERS OF THE AUTHORITIES OF INSTITUTE

Members of the Board and other authorities of the Institute and members of the Committees constituted under the Act or these Statutes or appointed by the Board and other authorities shall be entitled to traveling allowance, daily allowance and sitting fee for attending the meetings of the authorities and their Committees as laid down by the Board from time to time.

16. DEPARTMENTS AND CENTRES

The Institute shall be organized into such number of Departments and Centres, to be

known by such names, as the Board may, within the budgetary provision, approve from time to time, on the recommendations of the Senate.

17. THE DIRECTOR AND HIS POWERS

- (1) The Director of the Institute shall be appointed by the Visitor on contract basis on the recommendation of a Selection Committee constituted by him consisting of at least five members including the Chairman who are experts in the field of technical education with experience at national and international level.
- (2) The Director shall be appointed for a period of five years and shall be governed by the terms and conditions of the Contract of Service entered into between the Institute and the Director in form specified in Schedule-A.
- (3) Subject to the budget provisions made for the specific purpose, the Director shall have the power to incur expenditure in accordance with the procedure as may be laid down in the ordinances.
- (4) The Director shall have the power to appropriate funds with respect to different items constituting the recurring budget up to a limit specified for the Head of Department in the Central Government for each item:
Provided that such appropriation shall not involve any increase in the budget and any liability in future years:
Provided further that every such appropriation shall, as soon as possible, be reported to the Board.
- (5) The Director shall have the power to write off irrecoverable losses up to a limit of ten thousand rupees and of irrecoverable value of store items lost or rendered unserviceable due to normal wear and tear or obsolete up to a limit of twenty five thousand rupees subject to such stipulations as may be made by the Board from time to time.
- (6) The Director shall have the power to donate obsolete equipment or store items, as identified by a Committee constituted for this purpose by the Director, to any educational institution in the vicinity of the Institute up to such limits as may be decided by the Board from time to time.
- (7) The Director, where he is the appointing authority, shall have the power to fix, on the recommendations of the Selection Committee, the initial pay of an incumbent at a stage higher than the minimum of the scale, but not involving more than five increments, in respect of posts to which appointment can be made by him under the powers vested in him by the provision of the Act or these statutes.
- (8) The Director shall have the power to employ Teaching Supporting Staff in the Laboratories, Technicians or Technical Instructors and Skilled Workmen, paid from contingencies from time to time, for not more than one year on such remuneration as may be decided by the Board.
- (9) The Director shall have the power to send members of the staff for training or to attend course of instruction inside India subject to such terms and conditions as may be specified by the ordinances.
- (10) The Director shall have the power to sanction temporary allocation of any building for any purpose other than that for which it was constructed.
- (11) If for any reason the Registrar is temporarily absent for a period not exceeding one month, the Director may take over or assign to any faculty member or member of staff of the Institute, any of the functions of the Registrar as he deems fit:
Provided that if at any time the temporary absence of the Registrar exceeds one month, the Board may, if it thinks fit, authorise the Director to take over or

assign the function of the Registrar, for a period exceeding one month.

- (12) All contracts for and on behalf of the Institute except the one between the Institute and the Director shall when authorised by a resolution of the Board passed in that behalf be in writing and be expressed to be made in the name of the Institute and every such contract shall be executed on behalf of the Institute by the Director, but the Director shall not be personally liable in respect of anything under such contract.
- (13) The Director may, during his absence from headquarters, specifically authorise in writing the Deputy Director or in his absence, one of the Deans or the Senior most Professor present to sanction advances for travelling allowance contingencies and medical treatment of the staff and sign and counter-sign bills on his behalf.
- (14) The Director may, at his discretion, constitute such committees, as he may consider appropriate for smooth functioning of the Institute.
- (15) In the event of the occurrence of any vacancy in the office of the Chairperson by reason of his death, resignation or otherwise or in the event of the Chairperson being unable to discharge his functions owing to absence, illness or any other cause, the Director may discharge the functions assigned to the Chairperson under section 16 of the Act.
- (16) The Director may, with the approval of the Board delegate any of his powers, authorities or responsibilities vested in him by virtue of the Act and Statutes to one or more members of Academic or Administrative Staff of the Institute.

18. THE DEPUTY DIRECTOR

- (1) The appointment of the Deputy Director shall be made by the Visitor on the recommendation of the Selection Committee constituted by the Central Government with prior approval of the Visitor consisting of at least five members including the Chairman who are experts in the field of technical education with experience at National and International level.
- (2) The appointment shall be for a period of three years initially which may be extended by two times for one year each on recommendation of the Board.
- (3) The Deputy Director shall be governed by the terms and conditions of the Contract of Service entered into between the Institute and the Deputy Director in the form specified in Schedule-B.
- (4) The Deputy Director shall have all the powers of the Director during the vacancy in the post of Director of the Institute.
- (5) The Deputy Director shall assist the Director in academic and administrative work and in maintaining liaison with other institutions of higher learning and research, and also with industrial undertakings and other employers.

19. DEANS

- (1) The Institute shall establish not more than six Deanships.
- (2) The Director shall appoint the Deans with intimation to the Chairperson, Board of Governors.
- (3) The Dean shall hold his post for two years extendable by one more year.
- (4) Only Professors or Associate Professors shall be eligible for becoming Deans.
- (5) Broad functions of Deans are enumerated in the Schedule 'C'.

20. HEAD OF THE DEPARTMENT OR CENTRE

- (1) Each Department and Centre of the Institute shall be placed in charge of a Head, who shall be selected by the Director, from amongst the Professors and Associate Professors of that Department or Centre:
 Provided that if a Department or Centre has no Professor or Associate Professor, the Director may appoint an Assistant Professor of that Department or Centre to head the Department or Centre.
- (2) The Head of a Department or Centre shall hold his post for a term of two years :
 Provided that after the expiry of his term of office, he shall continue to hold office till the appointment of his successor:
 Provided further that no person shall head a Department or Centre continuously for a period exceeding three years, unless he is specially appointed at least for a second term.
- (3) The Director may himself take temporary charge of a Department or place it under the charge of the Deputy Director or a Professor from another Department for a period not exceeding six months.
- (4) The Head of Department shall be responsible for the entire working of the Department subject to the general control and supervision of the Director.
- (5) The Head of Department shall be duty bound to see that the decisions of the authorities of the Institute and of Director are faithfully carried out. He shall perform such other duties as may be assigned to him by the Director or Senate.
- (6) When appointment to the post of Head of Department or Centre becomes due, the Director shall ascertain the willingness, of the persons eligible to be appointed as Head, for being so appointed, and shall generally select a person by rotation from among eligible and willing persons.
- (7) Whenever it is proposed to deviate from the principle of rotation, such appointment shall be made only with the prior approval of the Chairperson, Board of Governors and for reasons to be recorded in writing and shall also be reported to the Senate and the Board, along with reasons for deviation, in their next meetings.

21. REGISTRAR

- (1) The Registrar shall be appointed for a fixed term of not exceeding five years on deputation or contract basis.
- (2) The Registrar shall act as Secretary of the Board, Senate and such other Committees to which he may be required by the Statutes to act as such.

22. CLASSIFICATION OF THE MEMBERS OF THE STAFF

- (1) Except in the case of employees paid from contingencies, the members of staff of the Institute shall be classified as under :-
 - (i) **Academic staff** :- Director, Deputy Director, Professor, Associate Professor, Assistant Professor, Lecturer, Professor Training and Placement, and such other academic posts as may be decided by the Board from time to time;
 - (ii) **Technical staff** :- System Manager, System Analyst, Programmer, Librarian, Workshop Superintendent, Assistant Workshop Superintendent, Foreman, Technician, Instructor, Laboratory Assistant, Mechanic, Overseer, Technical Assistant, Draftsman, and such other technical posts as may be decided by the Board from time to time; and
 - (iii) **Administrative and others staff** :- Registrar, Deputy Registrar and Assistant

Registrar, Accounts Officer, Audit Officer, Estate Officer, Executive Engineer, Assistant and Junior Engineer, Medical Officer, Medical Assistant, Horticultural Assistant/ Officer, Office Superintendent, Security Officer, Stores Officer, Store Keeper, Office Assistants, Data Entry Operators and such other Administrative and other staff as may be decided by the Board from time to time.

- (2) Posts classified as **Academic staff** shall be vacation posts only.

23. APPOINTMENTS

- (1) The posts at the Institute shall be filled by advertisement on all India basis :
Provided that the ratio between the Direct Recruitment and Promotion posts for posts other than that of the Director or the Deputy Director shall be as per the recruitment rules.
- (2) The reservation of posts shall be in accordance with the rules of the Central Government.
- (3) For the purposes of appointments, the rules applicable to of the Central Government employees shall apply.
- (4) The Selection Committees, for filling posts under the Institute (other than the posts on contract basis) by advertisement or by promotion from amongst the members of staff of the institute, shall be constituted in such manner as laid down by Ministry of Human Resource Development, Department of Higher and Secondary Education, Government of India or Board from time to time by ordinances.
- (5) Selection Committees for filling up of posts under the Institute (other than on contract basis) by advertisement or by promotion from amongst the members of staff of the Institute shall be constituted in the following manner, namely:-
 - (a) the Selection committee for recruitment of Academic Staff (excluding the Director and the Deputy Director), or for promotion shall be as under:

(1) Director or Deputy Director	- Chairman
(2) Visitor's Nominee	- Member
(3) two nominee of the Board one being an expert, but other than a member of the Board	- Member
(4) one expert nominee of Senate from outside the institute	- Member
(5) Head of Department concerned (for other than the post of Professor)	- Member
 - (b) The Selection Committee for Technical posts shall be as follows:

(1) Director or Deputy Director	- Chairman
(2) one Expert from outside the Institute	- Member
(3) Nominee of Ministry of Human Resource Development	- Member
(4) Concerned Head of Department	- Member
(5) Registrar	- Member
 - (c) The Selection Committee for Administrative and Ministerial Staff shall be as under:

(1) Director or Deputy Director	- Chairman
(2) one Expert from outside the Institute	- Member
(3) Nominee of Ministry of Human Resource Development	- Member
(4) Registrar	- Member

- (d) The Selection Committee for Senior Administrative and other comparable posts carrying pay scale of Lecturer and above shall be as under:-
- | | |
|---|------------|
| (1) Director or Deputy Director | - Chairman |
| (2) one Expert from outside the Institute | - Member |
| (3) Nominee of Ministry of Human Resource Development | - Member |
| (4) Nominee of Board | - Member |
| (5) Registrar | - Member |
- (6) The Registrar shall be substituted by another nominee of the Board in case the Selection is made for the Registrar or the equivalent post.
- (7) In the absence of the Deputy Director, the Director may nominate any member of the staff of the Institute to be the member of the Selection Committees in his place.
- (8) Where a post is to be filled on contract basis or by invitation, the Board may, constitute such Adhoc Selection Committee, as circumstances of each case may require.
- (9) Where a post is to be filled by promotion from amongst the members of the Institute or temporarily for a period not exceeding twelve months, the procedure for the same shall be as specified by ordinances.
- (10) Notwithstanding anything contained in these Statutes, the Board shall have the power to make appointments of persons having special skill or knowledge to suit the emergent need of the department(s) or centre(s).
- (11) If the post is to be filled by advertisement, the Registrar shall advertise the terms and conditions of the post and the screening committee for the purpose of short listing the eligible and most desirable candidates and shall screen all applications received within the date specified in the advertisement.
- (12) At the time of interview, the Selection Committee shall examine credentials of all candidates who have been called for the interview, interview the eligible candidates and recommend the appointment of the most suitable candidate to the competent authority for approval.
- (13) The recommendations of the Selection Committee shall remain valid for a period of one year from the date of interview and if for any reason the recommendations are not approved by the competent authority or appointment orders not issued after the approval of recommendations within the said period of one year, the recommendations shall lapse and fresh advertisement shall be issued.
- (14) No act or proceeding of any Selection Committee shall be called in question on the ground merely of the absence of any member or members of the Selection Committee.
- (15) Unless otherwise provided for under these Statutes, the Selection Committee constituted for the purpose of making recommendations for appointment to a post shall continue to exercise its functions in relation to that post till the appointment is made against that post.
- (16) All appointments made at the Institute shall be reported to the Board at its next meeting.
- (17) The applications of the employees eligible for promotion under Assured Career Progression (ACP) shall be considered by the Departmental Promotion Committees before any promotion or up-gradation is recommended.
- (18) The Departmental Promotion Committee shall be as follows:
- | | |
|---|------------|
| 1. Director or Deputy Director | - Chairman |
| 2. Concerned Head of Department | - Member |
| 3. Head of Department from other Department | - Member |
| 4. Registrar | - Member |

24. GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SERVICE OF PERMANENT EMPLOYEES

Permanent employees of the Institute shall be governed by the following terms and conditions:-

- (i) Subject to the provisions of the Act and the Statutes, all appointments to posts under the Institute shall be made on probation for a period of one year after which period the appointee, if confirmed, shall continue to hold his office subject to the provisions of the Act and the Statutes, till the end of the month in which he attains the prescribed maximum age for **teaching posts**, for **technical non-teaching** and **ministerial and administrative posts** as the case may be:
Provided that the appointing authority shall have the power to extend the period of probation of any employee of the Institute for such periods as may it may deem fit.
- (ii) The age of superannuation shall be as specified for various classes and categories of the employees of the institute by the Central Government.
- (iii) The employees of the Institute shall be entitled to allowances in addition to pay, as admissible to Central Government Employees.
- (iv) The employees of the Institute shall be entitled to reimbursement of medical expenses incurred on themselves and their families as per Central Civil Services (Medical Attendance) Rules, 1944.
- (v) The employees of the Institute shall be governed by the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964.
- (vi) The employee appointed on or after 01.01.2004 shall be governed by the new pension scheme announced by the Government of India.
- (vii) The application of the employees of the Institute shall be forwarded for employment outside the Institute only three times in a year in accordance with the procedure specified in Schedule-D.
- (viii) The employees of the Institute will be entitled to Leave Travel Concession (LTC) as admissible to Central Government Employees.
- (ix) Overtime and night allowance shall be paid to the eligible employee of the Institute as is admissible to the Central Government Employees.

25. CODE OF CONDUCT FOR PERMANENT EMPLOYEES

The code of conduct for employees shall be made by each Institute in consultation with the Central Government.

26. SUSPENSION, PENALTIES, DISCIPLINARY PROCEEDINGS

- (1) The Director may place a member of the staff appointed at the Institute under suspension:-
 - (i) where a disciplinary proceeding against him is contemplated or is pending; or
 - (ii) where a case against him in respect of any criminal offence is under investigation, inquiry or trial :

Provided that where a member of the staff is detained in custody, whether on a criminal charge or otherwise, for a period exceeding forty-eight hours, such member of the staff shall be deemed to have been placed by an

order of the competent authority under suspension with effect from the date on which he was so detained.

- (2) During the period of suspension, the member of the staff shall be entitled to the following payments, namely:-

- (a) a subsistence allowance at an amount equal to the Leave Salary which the staff member would have drawn had he been on leave on half pay and Dearness Allowance, if admissible on the basis of such leave salary:

Provided that where the period of suspension exceeds six months, the Subsistence Allowance shall be as follows:

- (i) the amount of subsistence allowance may be increased by a suitable amount not exceeding fifty percent of the subsistence allowance admissible during the period of the first six months, if, in the opinion of the Competent Authority the period of suspension has been prolonged for reasons to be recorded in writing, not directly attributable to the employee concerned;
 - (ii) the amount of subsistence allowance may be reduced by a suitable amount, not exceeding fifty percent of the subsistence allowance admissible during the period of the first six months, if, in the opinion of the Competent Authority, the period of suspension has been prolonged due to reasons, to be recorded in writing, directly attributable to the employee.
- (b) The rate of dearness allowance will be based on the increased or as the case may be the decreased amount of subsistence allowance admissible under sub-statute 2.
- (c) Any other compensatory allowance admissible from time to time on the basis of pay of which the staff member was in receipt of on the date of suspension subject to the fulfillment of other conditions laid down for the drawal of such allowances.
- (3) No payment shall be made unless the staff member furnished a certificate that he is not engaged in any other employment, business, profession or vocation.
- (4) The Board of Governors may, if it is of the opinion, that the circumstances of the case do not warrant the suspension of the member of the staff, revoke such order.
- (5) The following penalties may be imposed on any employee:-
- (i) censure;
 - (ii) withholding of increments or pay;
 - (iii) withholding of promotion;
 - (iv) recovery from his pay of the whole or part of any pecuniary loss caused to the Institute by negligence or breach of orders;
 - (v) reduction to lower grade or post or to a lower time-scale of pay, or to a lower stage in a time-scale for a period of three years without cumulative

effect and not adversely affecting his pension (where ever applicable) ;

- (vi) compulsory retirement;
 - (vii) removal from service which shall not be a disqualification for future employment under the Institute;
 - (viii) dismissal from service, which shall ordinarily be a disqualification for future employment under the Institute;
- (6) No Order imposing on any member of the staff any of the penalties specified at (v) to (viii) above shall be passed by any authority subordinate to that by which he was appointed and except after an enquiry has been held and the member of the staff has been given reasonable opportunity of showing cause against the action proposed to be taken in this regard.
- (7) No order imposing on any member of the staff any of the penalties specified at (i) to (iv) above shall be passed by any authority subordinate to that by which he was appointed and unless the member of the staff concerned has been given an opportunity to make a representation to the appointing authority:

Provided that the provisions of sub-statute (5) and (6) shall not apply to the following :-

- (a) where an employee is dismissed or removed or reduced in rank on the ground of conduct which has led to his conviction on a criminal charge;
 - (b) where the authority empowered to dismiss or remove the person or to reduce him in rank is satisfied that for some reason to be recorded by that authority in writing, it is not reasonably practicable to give to that person such opportunity; or
 - (c) where the Visitor is satisfied that in the interest of the security of the State, it is not expedient to give to that person such opportunity.
- (8) If, in respect of such person as aforesaid, any question arises whether it is reasonably practicable to give to an opportunity referred to under clause (b), the decision thereon of the authority empowered to dismiss or remove such person or to reduce him in rank, as the case may be, shall be, final.
- (9) A member of the staff aggrieved by any order imposing penalty passed by the Director against him shall be entitled to prefer an appeal to Board of Governors against the order and there shall be no further appeal from the decision of the Board.
- (10) A member of the staff aggrieved by any order passed by the Board inflicting a penalty on him shall be entitled to prefer an appeal to the Visitor against such order.
- (11) No appeal shall be entertained by the Board of Governors or the Visitor, as the case may be, unless it is made within a period of three months from the date on which member of the staff aggrieved by such order receives a copy of the order appealed against:
- Provided that the appellate authority may entertain the appeal after the expiry of the said period, if it is satisfied that the appellant has sufficient cause for not submitting the appeal in time.

1552 42909-7

- (12) The authority to whom an appeal against an order imposing penalty lies may, of its own motion or otherwise call for the records of the case from the Director or the Board, as the case may be, review any order passed in such a case and pass such orders as it deems fit.
- (13) Notwithstanding anything contained in this Statute, the Visitor may, on his own motion or otherwise after calling for the records of the case, review any order which is made under this Statute, and—
- (a) confirm, modify or set aside the order;
 - (b) impose any penalty or set aside, reduce, confirm or enhance the penalty imposed by the order;
 - (c) remit the case to the authority which made the order or to any other authority directing such further action or enquiry as he considers proper in the circumstances of the case, or
 - (d) pass such other orders as he deems fit.
- Provided that an order imposing or enhancing a penalty shall not be passed unless the person concerned has been given an opportunity of making any representation which he may wish to make against such enhanced penalty.
- (14) (a) When a member of the staff of the Institute who has been dismissed, removed or suspended is reinstated, the authority competent to order the reinstatement shall consider and make a specific order:—
- (i) regarding the pay and allowances to be paid to the member of the staff of the Institute for the period of his absence from duty; and
 - (ii) whether or not the said period shall be treated as a period spent on duty;
- (b) where such competent authority holds that the member of the staff of the Institute has been fully exonerated or in case of suspension, that it was wholly unjustified, the member of the staff of the Institute shall be given the full pay to which he would have been entitled had he not been dismissed, removed or suspended, as the case may be, together with any allowance of which he was in receipt prior to his dismissal, removal or suspension;
- (c) In other cases, the member of the staff of the Institute shall be given such proportion of such pay and allowances as the competent authority may specify:
- Provided that the payment of allowances under clause (b) or clause (c) shall be subject to all other conditions under which such allowances are admissible;
- (d) In cases falling under clause (b) the period of absence from duty shall be treated as a period spent on duty for all purposes;
- (e) In cases falling under clause (c) the period of absence from duty shall not be treated as a period spent on duty unless such competent authority specifically directs that it shall be so treated for any specified purpose.

27. GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SERVICES OF TEMPORARY EMPLOYEES

- (1) The services of a temporary employee shall be liable to termination at any time by notice of one month in writing given either by the employee to the appointing authority, or by the appointing authority to the employee.

- (2) The other terms and conditions of service of such employee shall be such as may be specified by the appointing authority in his letter of appointment.

28. APPOINTMENTS ON CONTRACT

- (1) Notwithstanding anything contained in these Statutes, the Board with the prior approval of the Visitor may in special circumstances appoint an eminent person on contract for a period not exceeding 5 years.
- (2) Subject to the provisions of the Act, the Board may appoint any person on contract in the prescribed scales of pay and on terms and conditions applicable to the relevant post for a period not exceeding 3 years.
- (3) For making such appointments, the Chairperson, Board of Governors shall constitute such adhoc Selection Committee, as the circumstances of each case may require.
Provided that such constitution of committee shall be reported to the Board for confirmation.

29. PROVIDENT FUND AND PENSION SCHEMES

Employees of the Institute appointed prior to 1.1.2004 will be governed by Central Civil Services (Pension) Rules, 1972 and Central provident Fund (Central Services) Rules, 1960 and the Employees appointed on or after 1.1.2004 will be governed by New Pension Scheme of Central Government.

30. RESIGNATION

Notwithstanding anything contained in the foregoing provisions of these first Statutes, a member of the staff of Institute may resign:

- (i) if he is a permanent employee, only after giving three months' notice in writing to his appointing authority, or by paying three months salary in lieu thereof; and
- (ii) if he is not a permanent employee, only after giving one month's notice in writing to the appointing authority or by paying one month's salary in lieu thereof.
Provided that such resignation shall take effect only on the date on which the resignation is accepted by the appointing authority.

31. RETIREMENT

- (1) At any time after an employee has completed twenty years qualifying service, he may, by giving notice, of not less than three months, in writing to the appointing authority, retire from service as per the terms and conditions laid down by the Central Government, from time to time, for its own employees.
- (2) The appointing authority has the right to retire the employee before superannuation as premature retirement in accordance with the provision of Central Civil Services (Retirement) Rules, 1964.
- (3) An employee can retire from service on account of any bodily or mental infirmity that permanently incapacitates him from service subject to the following conditions, namely :-
 - (i) The employee shall submit his application to the Registrar through proper channel and produce a medical certificate from medical authority as may be

specified by the ordinances;

- (ii) If the medical authority grants fitness certificate for a lower post, the employee, if willing may be appointed on such post only if available; and
- (iii) The medical report should precede or coincide with the date of retirement.

32. ADVANCES

The permanent employees of the Institute shall be having facility of drawing advances for various purposes as admissible to Central Government Employees.

33. DEPUTATION

Deputation is permissible for appointment (temporary transfer) in public interest outside National Institute of Technology to other National Institute of Technology, Central Government, State Government, Universities or Autonomous Bodies including Public Sector undertaking and subject to the terms and conditions specified in the recruitment rules.

34. RESIDENTIAL ACCOMMODATION FOR EMPLOYEES

- (1) Every employee of the Institute may be allotted an unfurnished house within the campus of the Institute for residential use only, if available, in which he shall be required to reside, subject to such conditions as may be laid down by the House Allotment Rules of the Institute.
- (2) An employee of the Institute who has been allotted house for residential use, shall be charged license fee at the rate as fixed by the Board from time to time.
- (3) In addition to the license fee, water, electricity and charges for any other service rendered shall be recovered from an employee on actual basis or at such rates as may be determined by the Board from time to time.
- (4) The Board may, allot furnished or unfurnished accommodation without levying any license fee or levying such fee at concessional rates to any category of staff, if it considers it necessary to do so in the interest of the Institute.

35. LEAVE AND VACATION RULES

The leave for all the employees of the Institute shall be governed by the Central Civil Services (Leave) Rules 1972.

36. SCHOLARSHIPS, FELLOWSHIPS, MEDALS AND PRIZES

The Board may, on the recommendation of the Senate institute such scholarships, fellowships medals and prizes as it may consider necessary.

37. FEES

The Institute shall charge the following fees, namely:-

- (i) The tuition and the hostel fee shall comprise of two parts (a) fees determined by the National Institutes of Technology Council which shall be the common for all National Institutes of Technology and (b) fees which will be determined by the

concerned Boards of Governors which shall be applicable to the concerned institute.

- (ii) the Caution Money shall be refundable to student, scholars and fellows at the time of finally leaving the Institute, after deduction of relevant dues, if any and where no claim for a refund is received within two years of finally leaving the Institute, the Caution Money shall be credited into the Student Welfare Fund.
- (iii) The fee concession and scholarships as may be determined by the Central Government from time to time shall be applicable to all National Institutes of Technology.

38. STUDENTS' HOSTELS AND HALLS

- (1) Every Institute shall be a residential institution and all students and research scholars shall reside in the hostels and halls of residence built by the Institutes for the purpose:
Provided that in exceptional cases, for reasons to be recorded in writing, the Director may permit a student or scholar to reside with his parent or guardian, but where any such permission is accorded to a student or scholar, such student or scholar, as the case may be, shall be liable for the payment of such seat rent as he would have been liable for the payment of seat rent had he resided in the hostel.
- (2) Every resident in the hostels and halls shall conform to rules laid down by the Institute for the purpose.
- (3) For each hostel or hall of residence there shall be a Warden and such number of Assistant Wardens and other staff as may be determined by the Board from time to time.
- (4) The members of the Academic Staff shall be appointed by the Director as Warden and Assistant Warden.
- (5) Wardens and Assistant Wardens shall be entitled to rent free unfurnished quarters corresponding to the type of quarters to which they are normally entitled.
- (6) The Board shall lay down rules for the management of the hostels and halls of residence.

39. CONFERMENT OF HONORARY DEGREES

The Institute may confer honorary degrees for a few exceptional and outstanding persons for their illustrious contribution in their respective fields:

1. Provided that all proposals for the conferment of honorary degrees shall be made by the Senate and shall be approved by the Board.

[No. F. 22-5/2006-TS. III (Pt.)]

N. K. SINHA, Jt. Secy.

THE NATIONAL INSTITUTES OF TECHNOLOGY

SCHEDULE 'A'

[See Statute 17(2)]

"WHEREAS in terms of Section 17 (1) of the National Institute of Technology Act, 2007 (hereinafter called the Act) and Statute 17(2) (in case of NIT, _____) (hereinafter called Statutes), the Visitor has been pleased to approve the appointment of the appointee as the Director of the Institute on contract for five years and the appointee has accepted such appointment upon the terms and conditions hereinafter appearing. NOW THESE PRESENTS WITNESSETH and the parties hereto respectively agree as follows:-

- [1] This agreement of service shall be deemed to have been entered into subject at all times to the provisions of the Act, and Statutes covering the Institutes as in force from time to time as applicable to permanent confirmed employees.

(2) The appointee shall be on service under the agreement for a period of five years with effect from date of joining the post. Provided that if the appointee on conclusion of the period of service mentioned above is below 65 years of age, his service shall continue till the 30th June of the year in which the appointee concludes the said period of service or till he attains the age of 65 whichever is earlier.

(3) The appointee shall be the Principal academic and Executive Officer of the Institute and shall be the Institute as the whole time Director of the Institute with powers and duties provided in the said Act and Statutes.

(4) The appointee shall devote his whole time to the service of the Institute and will be subject to the Conduct Rules and other provisions of the said Act and the Statutes. Any information obtained by appointee during or in connection with his service and the work upon which he is engaged shall be treated as secret and confidential and appointee shall be deemed in all respects to be subject to the Indian Officials Secrets Act, 1923, as amended from time to time.

(5) During the period of his service except in respect of any period of suspension and also of any period of leave without pay, the appointee shall be entitled subject to the Indian Income Tax to an initial pay of Rs. in the scale of Rs. provided that if any time the appointee proceeds on deputation out of India, his pay and allowances during the period his deputation will be such as may be decided by the Board of Governors. In addition, the appointee shall draw allowances like Dearness Allowance, City Compensatory Allowance etc. as may be admissible from time to time as per rules of the Institute.

(6) During his service under these presents the appointee shall subscribe to the Contributory Provident Fund-cum-Gratuity of the Institute according to the provisions made in the Statutes and subject to such modifications in these provisions as may be made from time to time and shall also be entitled to the contribution of the Institute as admissible to the permanent confirmed employees as per the Statutes. In the event of the appointee being employer of any other National Institute of Technology and enjoying the benefits either under Contributory Provident Fund -cum- Gratuity Scheme or General Provident Fund-cum-Pension-cum-Gratuity Scheme, he shall join the corresponding Scheme of the Institute with transfer of this accumulation as admissible under the Statutes. In case the appointee is the employee of the Institute he shall continue to be governed by Contributory Provident Fund-cum-Gratuity Scheme or General Provident Fund-cum-Pension-cum-Gratuity Scheme as immediately prior to this contract appointment and shall be entitled to benefits of the scheme for the period of his service under this contract like other permanent employees of the institutes as per the Statutes.

(7) Notwithstanding anything hereinbefore contained, the appointee shall unless otherwise decided by the Institute be entitled to receive the whole or in part as may be determined by the Institute the benefits of any improvements in the revision of scale of pay and in retirement benefits that may be affected by the Institute subject to the date of these presents in the terms and conditions of the service of members of the branch of Institute, service to which he may for the time being belong, the decision of the Institute in respect of such improvement in the terms and conditions of their service of appointee shall operate so as to modify to that extent the provisions of these presents.

(8) The appointee shall be entitled to leave as admissible to permanent non-vacation employees of the Institute under the Statutes.

(9) The appointee shall be entitled to furnished free of license fee office cum residential accommodation in the campus of the Institute as may be sanctioned by the Board of Governors of the Institute.

[10] The appointee shall be eligible for privilege in relation to medical attendance and treatment as provided for in the Statutes.

[11] The appointee shall be paid travelling expenses for joining the Institute as admissible to an officer of the Central Government of equivalent rank under the Transfer Travelling Allowances Rules of the Central Government deeming the appointment of the appointee as on transfer in the public interest.

If the appointee is required to travel in the interest of Institute work, he shall be entitled to travelling allowance and the scale provided for in the T. A. Rules of the Institute in force from time to time. Similarly the appointee shall be entitled to leave travel concession for visiting his hometown as per the Rules of the Institute.

[12] Any amount received by the appointee from books and articles published by him at his cost shall be left to him as an encouragement for continuing his work in that line. He would also be allowed to do consultancy and retain benefits of the same as per rules laid down by the Board from time to time.

[13] The service of appointee may during the period of contract, be terminated by the Institute at any time by three calendar months notice in writing given at any time during service under this contract without any cause assigned. Provided always the Institute may in lieu of the notice herein provided to give the appointee a sum equivalent to the amount of his basic pay for three months. The appointee may terminate his service by giving to the Institute three calendar months notice in writing.

[14] The appointee will be allowed the status of Professor of the Department of his speciality and take part in teaching and research in the said Department subject to his Convenience.

[15] In respect of any matter for which no provision has been made in this agreement the appointee will be governed by the said National Institutes of Technology Act, 2007 or any modification thereof for the time being in force and the Statutes made thereunder for time being in force.

IN WITNESS WHEREOF on the day and the year first above written, the Chairman of the Board of Governors of the Institute has hereinto set his hand and the appointee has hereinto set his hand.

Signed and delivered for the
National Institute of Technology,
by the Chairperson,
Board of Governors of the Institute

In the presence of Signature of Witnesses with addresses Signed and delivered by the said
appointee In the presence of Signature of
..... witnesses with addresses
Director, NIT

SCHEDULE 'B'
[See Statute 18(3)]

CONTRACT OF SERVICE FOR THE POST OF DEPUTY DIRECTOR

An AGREEMENT for service made this.....day..... date of
.....one thousand nine hundred between
..... (herein after called the appointee) of the one part and the National
Institute of Technology incorporated under the National Institutes of Technology Act, 2007 (29
of 2007).

"WHEREAS in terms of Section 17(1) of the National Institute of Technology Act, 2007 (hereinafter called the Act) and Statute 18(3) (in case of NIT,) (hereinafter called Statutes), the Visitor has been pleased to approve the appointment of the appointee as the Deputy Director of the Institute on contract for a period of three years initially which may be extended by two times for one year each on the recommendation of the Board and the appointee has accepted such appointment upon the terms and conditions hereinafter appearing. NOW THESE PRESENTS WITNESSETH and the parties hereto respectively agree as follows:-

[1] This agreement of service shall be deemed to have been entered into subject at all times to the provisions of the Act, and Statutes covering the Institutes as in force from time to time as applicable to permanent confirmed employees.

[2] The appointee shall be on service under the agreement for a period of three years extendable by two years on year to year basis with effect from (that is date of joining the post) provided that if the appointee on conclusion of the period of service mentioned above is below 65 years of age, his service shall continue till the 30th June of the year in which the appointee concludes the said period of service or till he attains the age of 65, whichever is earlier.

[3] The appointee shall serve the Institute as the whole time Deputy Director of the Institute with powers and duties provided in the Act and Statutes. He shall report to the Director for discharge of his duties.

[4] The appointee shall devote his whole time to the service of the Institute and will be subject to the Conduct Rules and other provisions of the said Act and the Statutes. Any information obtained by appointee during or in connection with his service and the work upon which he is engaged shall be treated as secret and confidential and appointee shall be deemed in all respects to be subject to the Indian Official Secrets Act, 1923, as amended from time to time.

[5] During the period of his service except in respect of any period of suspension and also of any period of leave without pay, the appointee shall be entitled subject to the Indian Income Tax to an initial pay of Rs..... in the scale of Rs..... provided that if any time the appointee proceeds on deputation out of India his pay and allowances during the period his deputation will be such as may be decided by the Board of Governors. In addition the appointee shall draw

allowances like Dearness Allowance, City Compensatory Allowance etc. as may be admissible from time to time as per rules of the Institute.

[6] During his service under these presents the appointee shall subscribe to the Contributory Provident Fund-cum-Gratuity of the Institute according to the provisions made in the Statutes and subject to such modifications in these provisions as may be made from time to time and shall also be entitled to the contribution of the Institute as admissible to the permanent confirmed employees as per the Statutes. In the event of the appointee being employer of any other National Institutes of Technology and enjoying the benefits either under Contributory Provident Fund -cum- Gratuity Scheme or General Provident Fund-cum-Pension-cum-Gratuity Scheme, he shall join the corresponding Scheme of the Institute with transfer of this accumulation as admissible under the Statutes. In case the appointee is the employee of the Institute he shall continue to be governed by Contributory Provident Fund-cum-Gratuity Scheme or General Provident Fund-cum-Pension-cum-Gratuity Scheme as immediately prior to this contract appointment and shall be entitled to benefits of the scheme for the period of his service under this contract like other permanent employees of the institutes as per the Statutes.

[7] Notwithstanding anything hereinbefore contained the appointee shall unless otherwise decided by the Institute be entitled to receive the whole or in part as may be determined by the Institute the benefits of any improvements in the revision of scale of pay and in retirement benefits that may be affected by the Institute subject to the date of these presents in the terms and conditions of the service of members of the branch of Institute, service to which he may for the time being belong, the decision of the Institute in respect of such improvement in the terms and conditions of their service of appointee shall operate so as to modify to that extent the provisions of these presents.

[8] The appointee shall be entitled to leave as admissible to permanent non-vacation employees of the Institute under the Statutes

[9] The appointee shall be entitled to furnished free of license fee accommodation in the campus of the Institute as may be sanctioned by the Board of Governors of the Institute.

[10] The appointee shall be eligible for privilege in relation to medical attendance and treatment as provided for in the Statutes.

[11] The appointee shall be paid travelling expenses for joining the Institute as admissible to an officer of the Central Government of equivalent rank under the Transfer Travelling Allowance Rules of the Central Government deeming the appointment of the appointee as on transfer in the public interest.

If the appointee is required to travel in the interest of Institute work, he shall be entitled to travelling allowance on the scale provided for in the T. A. Rules of the Institute in force from time to time. Similarly the appointee shall be entitled to leave travel concession for visiting his hometown as per the Rules of the Institute.

[12] Any amount received by the appointee from books and articles published by him at his cost shall be left to him as an encouragement for continuing his work in that line. He would also be allowed to do consultancy and retain benefits of the same as per rules laid down by the Board from time to time.

[13] The service of appointee may during the period of contract, be terminated by the Institute at any time by three calendar months notice in writing given at any time during service under this contract without any cause assigned. Provided always the Institute may in lieu of the notice herein provided to give the appointee a sum equivalent to the amount of his basic pay for three months. The appointee may terminate his service by giving to the Institute three calendar months notice in writing.

[14] The appointee will be allowed the status of Professor of department of his specialization to the part in teaching and research in the Department of subject to his Convenience.

[15] In respect of any matter for which no provision has been made in this agreement the appointee will be governed by the said National Institutes of Technology Act, 2007 or any modification thereof for the time being in force and the Statutes made thereunder for time being in force.

IN WITNESS WHEREOF on the day and the year first above written, the Chairman of the Board of Governors of the Institute has hereinto set his hand and the appointee has hereinto set his hand.

Signed and delivered for the
National Institute of Technology,
by the Chairperson,
Board of Governors of the Institute
In the presence of

Signature of Witnesses with addresses

Signed and delivered by the said appointee

In the presence of Signature of witnesses with addresses

Deputy Director, NIT

SCHEDULE 'C' **[See Statute 19 (5)]**

DEANSHIPS

The institute may have not more than six deanships. There may be following Deanships in National Institute of Technology with the approval of the Board of Governors:

Dean Academic
Dean Planning and Development
Dean Student Welfare
Dean Faculty Welfare
Dean (Research and Consultancy)

Deanship is of functional position and not administrative one and such be discharged in its right spirit. Dean must be nominated by the Director only from amongst the Professors/Associate Professors, but should not be Head of the Department.

The Tenure of Deanship shall ordinarily be two years extendable by one more year, but Director with the approval of the Chairperson, Board of Governors may relieve any or all Dean before such period.

DUTIES AND RESPONSIBILITIES OF DEANS

The following duties and responsibilities have been entrusted to the Deans

1. Dean (Academic)

He/she will advise the Director in:

- (a) Admission and enrolment of students;
- (b) Finalisation of academic calendar, time-tables, registration of students for course work and examinations, class room arrangements and all other requirements for proper conduct of class work;
- (c) Conduct of class tests and co-coordinating the finalization of session's evaluations and for ensuring the timely declaration of results;
- (d) Supervision of the maintenance of up-to-date academic records of all categories of students;
- (e) Publication and distribution of the syllabi;
- (f) Organizing meeting of all the Institute level academic bodies;
- (g) Arranging the issue of all academic certificates, medals and prizes to the students;
- (h) To arrange for conduct of those examinations which are to be conducted by the Institute as stipulated in the Institute regulations.
- (i) To formulate policies for the conduct of research and steps to maintain suitable standard by implementing the Board of Governors/Senate decision.
- (j) To execute the policy of the Senate in the conduct of P.G., Ph.D. and other research programmes including the examination of the thesis.
- (k) To co-ordinate for the conduct of Convocation.
- (l) All proposals to modify the teaching programmes will be considered by BOAC, for which Dean (Academic) i.e. the Chairman and if approved will be sent to the Senate for formal approval.
- (m) To admit sponsored Early Faculty Induction Programme and Quality Improvement Programme candidates.
- (n) To suggest the Director to take suitable steps from time to time to strive for the high academic standards.

2. Dean (Planning and Development)

He/she will advise the Director in the following:

- (a) Planning the expansion and diversification of institutional activities and preparation of all developmental proposals, to the extent up to submission of plan & estimates related to Civil, electrical, Works, sanitary, network system, etc.
- (b) Maintenance of all necessary statistical data regarding plan & projects required for compilation of various reports periodically required to be sent to Ministry of Human Resource Development and other agencies.
- (c) Monitoring the physical targets and utilisation of funds in respect of Projects & Consultancy and in the preparation of relevant papers for submission of progress reports.
- (d) Formulating proposal for new courses and in organizing meetings of faculty members and external experts for this purpose in this regard;
- (e) In the efforts to expand and monitor the activities of consultancy, testing and sponsored research of Institute and to ensure submission of progress reports;
- (f) In coordinating the formulation and conduct of non-formal and continuing education and extension programmes.
- (g) To arrange for the agenda and organization of the meeting for procurement of equipments related to projects and testing & consultancy.
- (h) Providing necessary data for the budget and new estimates & plans to the Building & Works Committee to the Registrar.

3. Dean (Students Welfare)

- (a) He/she will advise the Director in organising the students' counseling.
- (b) He/she will be responsible for the publication of students' Magazines, News Bulletins, News letters etc.
- (c) He/she will advise the Director in matters related to students; discipline and welfare.
- (d) He/she will assist the Director in matters related to the Students Union/Association/Council.
- (e) He/she will co-ordinate the NCC, NSS, Games, Swimming Pool, Sports, Cultural and Co-curricular and Extra-curricular activities of the students.
- (f) He/she will keep a record of Alumni and correspond with them.
- (g) He/she will conduct the enquiries of students indulged in indiscipline.
- (h) He/she will correspond with Parents/Guardians of Students about their progress and individual problems / welfare.

4. Dean Faculty welfare

He/she will advise the Director in matters related to:

- (a) Deputation of faculty to various institutions under Quality Improvement Programme under rules applicable to them.
- (b) He/she will advise the Director for deputation of the faculty members to various conferences, seminars, short-term courses, training programmes, foreign teaching / training assignments etc.
- (c) He/she will chair the committee meetings of the evaluation of papers submitted or to be submitted to the conferences / seminar by the faculty members.
- (d) He/she will assist the Director in organizing training programmes for faculty.
- (e) He/she will assist the Director in the supervision of the construction and the maintenance work of buildings, roads, water supply, sanitation, lawns and gardens, communication networks, water coolers, air conditioners, telephones, etc.
- (f) He/she will assist the Director in maintaining the discipline and work ethos among the various departments and between the faculty members.
- (g) He/she will assist the Director in maintaining the high academic standards and achieving academic excellence in the institution.
- (h) Supervision over faculty discipline, integrity and commitment.

5. Dean (Research and Consultancy)

He/she will advise the Director in matters related to:

- (a) Frame rules for industrial sponsored research and consultancy.
- (b) Create and maintain database regarding faculty expertise.
- (c) Facilitate through his/her office faculty in procuring equipments necessary to conduct research/consultancy work, recruitment of project staff.
- (d) Coordinate co-curricular activities (technical festivals, quizzes etc.) for the students.
- (e) Provide guidance for submitting proposals to funding agencies such as Department of Science and Technology (DST), Bhabha Atomic Research Centre (BARC), Board of Research in Nuclear Sciences (BRNS), Indian Space Research Organisation (ISRO), Defense Research and Development Organisation (DRDO), Aeronautics Research and Development Board (AR&DB), Ministry of Information Technology, etc.

SCHEDULE 'D'
[See Statute 24(vii)]

FORWARDING OF APPLICATIONS FOR EMPLOYMENT ELSEWHERE

Applications for employment shall be forwarded only as per the norms approved by the Board of Governors:

All employees are under terms of their service, required to observe following norms for applying for other jobs in Government / private or elsewhere:

1. General Principles:

- (i). A permanent employee, having good promotion prospects, is under a normal obligation to devote his energies whole-heartedly to the duties of his post. It will not be unjust if his application for other employment is withheld and not forwarded.
- (ii). Application of a temporary employee should not be withheld unless there are compelling grounds to be recorded and communicated to such temporary employee. Application from a temporary employee, who may have good prospects of being made permanent in due course, should be dealt with on merits.
- (iii). Employees who have been given some technical training at Government / Institute expense, should continue to serve the institute at least for the bond period and withholding of application in such a case is justifiable. Board may decide the policy in such cases.
- (iv). Where an employee cannot be spared without serious detriment to important work in hand, his application can be withheld.

2. Application for posts advertised by Union Public Service Commission

Institute employees can apply directly to posts advertised by Union Public Service Commission but should keep the Head of the Department and Director informed. Subsequently, he should seek the permission for such appointment, but before appearing for the interview.

3. Posts in the other National Institutes of Technology / Central Universities and other comparable Institutions of Higher Education:

- (a) The application from permanent employee should accompany with an undertaking that he will either join back to the concerned National Institutes of Technology or resign from post held by him in that National Institute of Technology after 3 years.
- (b) Temporary employee should give an undertaking to resign in the event of his selection and acceptance of the new appointment.

Foreign assignments against open advertisements:

- (a) The employee can apply with prior permission of the Chairperson, Board of Governors to be confirmed by the Board of Governors.
- (b) If the time is short, an advance copy can be sent to the concerned agency with a copy to the Chairperson, Board of Governors for approval through proper channel.
- (c) Such employee shall not be considered as an official nominee of National Institute of Technology concerned.

Posts not Advertised or Circulated.

The application shall not be forwarded.

Registration with Employment Exchange.

Temporary employees can register with permission, but should resign when selected.

Permanent employee can register:

- (a) only for higher post under the Government/Public Sector Undertaking/Autonomous Body,
- (b) on production of a No Objection Certificate, from the National Institute of Technology, and
- (c) an undertaking that he will after the completion of three years of joining the new post either rejoin to the concerned National Institute of Technology or resign.
- (d) when an employee rejoins his parent office, he will not be granted a "no objection certificate" for a period of three years to register his name with the Employment Exchange again.

Employee under Suspension or Charge Sheeted.

No application should be forwarded if the employee is under suspension or a charge sheet has been issued/filed in the court or sanction for his prosecution has been accorded.

Employees whose conduct is under Investigation.

An application of an employee whose conduct is under investigation may be forwarded with brief comments on the nature of allegations and with a note that he would not be released if the employee is placed under suspension or a charge sheet is issued / filed in the court or sanction for his prosecution is accorded before his selection.